अक्टूबर 2015

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

प्रबंध सम्पादक
रघुवीर श्रीवास्तव

समन्वय
मंगला प्रसाद मिश्रा

प्रमुख सम्पादक
देवेन्द्र जोशी

परामर्श
शिवानी वर्मा

सम्पादक
रंजना चितले

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

आकल्पन
अल्पना राठौर
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सांसद आदर्श ग्राम योजना पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए।

इस अंक में

राष्ट्रीय कार्यशाला : समग्र विकास का आधार सांसद आदर्श ग्राम योजना	3
सांसद आदर्श ग्राम : आदर्श ग्राम का आधार तैयार	16
साक्षात्कार : सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान	23
साक्षात्कार : सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	25
साक्षात्कार : सांसद श्री लक्ष्मीनारायण यादव	27
पहल : स्मार्ट ग्राम आवधारणा है स्मार्ट सिटी की जननी	29
खास खबरें : मनरेगा अभिसरण से मध्यप्रदेश में बदली गाँवों की तस्वीर	34
सफल गाथा : खंडीगारा व बखतपुरा खुले में शौच मुक्त घोषित	37
विशेष : लॉसएंजिलिस स्पेशल ओलिम्पिक में बच्चों ने जीते पदक	39
आलेख : छिदगांव तमोली का ग्राम स्वराज	41
पंचायत गजट : ग्राम पंचायत सचिवों के चयन और नियुक्ति की अधिसूचना	43

आयुक्त की कलम से...

प्रिय पाठको,

भारत के ग्रामों को आदर्श बनाने और देश के समग्र विकास के उद्देश्य से विगत 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू की है। गाँवों को आदर्श बनाने का कार्य सांसदगणों के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। आदर्श ग्राम की परिकल्पना में उत्कृष्ट अधोसंरचना निर्माण, पात्रता अनुसार सुविधाएँ, वैयक्तिक और सामाजिक विकास शामिल है। सांसद आदर्श ग्राम योजना पर देश में पहली बार भोपाल में 23 से 24 सितम्बर तक दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किये गये उत्तम कार्यों पर विचार मंथन कर विकास के नवाचारों की कल्पना का आदान-प्रदान करना था। देश भर से प्राप्त 592 अच्छी पहलों में से 31 सफल गाथाओं तथा उत्तम कार्यों पर निर्मित 7 फिल्मों का कार्यशाला में प्रदर्शन किया गया तथा 31 नवाचारों की प्रदर्शनी भी लगायी गयी।

इस आयोजन में सांसदगणों, सांसद प्रतिनिधियों, सांसद आदर्श ग्राम योजना के नोडल अधिकारियों, जिला कलेक्टरों, केन्द्र व राज्य शासन के ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों तथा सरपंचों ने भाग लिया। कार्यशाला की रिपोर्ट को हम राष्ट्रीय कार्यशाला स्तम्भ में प्रकाशित कर रहे हैं।

24 सितम्बर को ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार श्री बीरेन्द्र सिंह के समक्ष मध्यप्रदेश में सांसद आदर्श ग्राम योजना में चयनित 7 आदर्श ग्रामों का प्रस्तुतीकरण किया गया जिसे 'सांसद आदर्श ग्राम' स्तम्भ में शामिल किया है। 'साक्षात्कार' स्तम्भ में इस बार खंडवा से सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान, मण्डला से सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और सागर से सांसद श्री लक्ष्मीनारायण यादव से सांसद आदर्श ग्राम योजना पर की गयी बातचीत के अंश प्रस्तुत हैं।

गाँवों के समग्र विकास के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्मार्ट ग्राम-स्मार्ट पंचायत योजना लागू की गई है। इस पर केन्द्रित विशेष लेख को 'पहल' स्तम्भ में प्रकाशित किया जा रहा है। 'अच्छी खबरें' में शामिल है मनरेगा अभिसरण से मध्यप्रदेश में बदली गाँवों की तस्वीर, मैहर में आयोजित पंच-सरपंच सम्मेलन, धार जिले की ग्राम पंचायत खंडीगार और बखतपुरा खुले में शौच से मुक्त। ग्राम पंचायत सचिवों के चयन और नियुक्ति की अधिसूचना को 'पंचायत गजट' स्तंभ में प्रकाशित किया गया है। इस अंक में बस इतना ही।

आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें।

(रघुवीर श्रीवास्तव)

समग्र विकास का आधार

सांसद आदर्श ग्राम योजना

भारत गाँवों में बसता है। गाँवों के विकास से ही देश का विकास संभव है। यदि 'गाँव आदर्श हो गये तो देश आदर्श हो जायेंगे'। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को आदर्श बनाने की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से सांसद आदर्श ग्राम योजना की घोषणा की। इस योजना को 11 अक्टूबर 2014 को लागू किया गया। आदर्श ग्राम की कल्पना में उत्कृष्ट अधोसंरचना निर्माण, हरेक को उनकी पात्रता अनुसार सुविधाएँ मिलें, ग्रामीणों की आय में वृद्धि और सामाजिक बदलाव शामिल है। गाँव की अधोसंरचना, आर्थिक, वैयक्तिक और सामाजिक विकास से सुनियोजित समग्र ग्राम विकास और आदर्श ग्राम बनाने के प्रयास का मार्गदर्शन सांसदों द्वारा किया जा रहा है। देश में पहली बार मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के विधानसभा परिसर में 23 से 24 सितम्बर 2015 को सांसद आदर्श ग्राम योजना पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में शामिल 650 प्रतिनिधियों में सांसदगणों, सांसद प्रतिनिधियों, सांसद आदर्श ग्राम योजना के नोडल अधिकारियों, जिला कलेक्टरों, केन्द्र व राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के उच्च अधिकारियों और सरपंचों ने भाग लिया। प्रस्तुत है सांसद आदर्श ग्राम योजना पर आयोजित कार्यशाला की रिपोर्ट।

आर्थिक मजबूती से आदर्श ग्राम तक

सांसद आदर्श ग्राम योजना में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किये गये उत्तम कार्य प्रदर्शन को लेकर भोपाल के विधानसभा परिसर में 23 से 24 सितम्बर तक आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में 23 सितम्बर को शुभारंभ अवसर पर केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि गाँवों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर ही आदर्श ग्राम की कल्पना को साकार किया जा सकता है। इसके लिए गाँव की अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन लाना होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शहरीकरण हर समस्या का समाधान नहीं है। गाँवों को सम्पूर्ण इकाई के रूप में विकसित करना होगा।

इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री सिंह ने रूरबन मिशन की परिकल्पना को स्पष्ट करते हुए बताया कि देश में गाँवों के 300 कलस्टर विकसित किए जाने की योजना है। पच्चीस से पचास हजार जनसंख्या वाले इन कलस्टरों को ऐसे विकसित किया जाएगा कि इनमें सारी सुविधाएँ उपलब्ध हों। गाँव के विकास की कल्पना में केवल गाँव में मौलिक सुविधाएँ उपलब्ध करवाना ही नहीं बल्कि गाँव को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाना भी है। आर्थिक रूप से सक्षम गाँव ग्रामीणों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवायेंगे। प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने लोगों को आर्थिक रूप से जोड़ने का काम किया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना गाँव को जोड़ने की नई सोच विकसित करती है। विकास की जो कल्पना हमारे युवाओं के मन में है वह गाँव में पूरी हो तब ही विकास की सार्थकता है। सांसदों के संरक्षण में गाँवों की सोच बदलेगी। सांसद पहल करके ग्राम विकास योजना का हिस्सा बनें। आगामी 2 अक्टूबर 2016 के पहले सभी आदर्श ग्रामों की प्राथमिकताएँ पूरी की जायेंगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बेहतर कार्य हुआ है। मध्यप्रदेश की कृषि विकास दर और विकास दर सबसे अधिक है।

यह पहला अवसर था जब लोकतांत्रिक व्यवस्था का सर्वोच्च प्रतिनिधित्व और त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की पहली कड़ी ग्राम सरपंच, ग्राम प्रधान ने मिलकर एक साथ भारत के ग्रामों को आदर्श बनाने की कल्पना को मूर्तरूप देने के लिए विचार-मंथन किया। इस दो दिवसीय कार्यशाला में देशभर में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किये गये 31 उत्तम कार्यों की प्रस्तुतियाँ हुईं तथा 7 उत्तम कार्यों पर बनी फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। कार्यशाला के मुख्य अतिथि थे ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार श्री बीरेन्द्र सिंह तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्यप्रदेश को विकास की नयी चमक प्रदान करने वाले मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गयी। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए गए उत्तम कार्यों के प्रदर्शन और नवाचारों के आदान-प्रदान तथा विकास के संकल्प के साथ सम्पन्न यह राष्ट्रीय कार्यशाला, सांसद आदर्श ग्राम योजना की परिकल्पना को नये आयाम देने और विस्तारित करने का पहला और अनूठा प्रयास था।

मेरा गाँव मेरा मान और आदर्श ग्राम

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत की कल्पना बिना गाँव के नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की संकल्पना इसी सोच के अनुसार की है। गाँवों में शहरों जैसी अधोसंरचना, स्कूल, सड़क, स्वास्थ्य, अस्पताल, पीने का पानी, बिजली आदि उपलब्ध करवाने के साथ ही वहाँ रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। पहले हर ग्राम एक सम्पूर्ण इकाई होता था। हमें सांसद आदर्श ग्राम योजना में मेरा गाँव की भावना को जोड़ना होगा। मेरे गाँव की प्रतिष्ठा मेरी है यह भाव ग्रामीणों में पैदा करना होगा। गाँव का हर बच्चा पढ़ने जाए, गाँव में स्वच्छता हो, नशामुक्ति हो, पेड़ लगायें, समाज की भागीदारी हो यह जरूरी है। मध्यप्रदेश में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के कन्वर्जेंस से गाँव को सर्वसुविधायुक्त बनाने की कोशिश की गई है। मध्यप्रदेश विकास दर के मामले में देश का अग्रणी राज्य है। प्रदेश में कार्यशाला में प्राप्त सुझावों को अमल में लाया जाएगा।

गाँव आदर्श तो देश आदर्श

केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्री श्री थावरचन्द गहलोत ने कहा कि गाँव को आदर्श बनाने का अर्थ देश को आदर्श बनाना है। किसी आदर्श ग्राम के दो पहलू हैं अधोसंरचना तथा सामाजिक विकास और सुरक्षा। दोनों का ही समग्र रूप से विकास किया जाना चाहिए। केन्द्रीय सामाजिक न्याय विभाग ने देश के दस राज्यों में अनुसूचित जाति बहुल 200-200 गाँवों का चयन विकास के लिए किया है। इनमें प्रति ग्राम 20 लाख रुपए उपलब्ध करवाये जायेंगे। हाथ से मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने के लिए सामाजिक न्याय विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा किसी भी आदर्श ग्राम के लिए आवश्यक है।

नवाचारों से बदलेगी देश की सूरत

सांसद आदर्श ग्राम योजना के बेहतर क्रियान्वयन के मकसद से देश में पहली बार आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किये गये अच्छे कार्यों और नवाचारों का आदान-प्रदान करना था ताकि आदर्श ग्राम निर्माण की कल्पना को मूर्तरूप दिया जाये और योजना के प्रमुख पक्षों, अधोसंरचना विकास, हितग्राहियों को सुविधाएँ, ग्रामीण आय स्त्रोत में वृद्धि और सामाजिक बदलाव को अमल में लाने की एक विचार योजना बने। उल्लेखनीय है कि योजना प्रारंभ होने से अब तक सांसदों, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों व अन्य सहयोगियों द्वारा किये गये मार्गदर्शन से देश भर में कई सफल गाथाओं ने आकार लिया है। ग्रामीण विकास की दिशा में देश भर में किये गये उत्तम कार्यों और नवाचारों की प्राप्त 592 अच्छी पहलों में से 31 उत्कृष्ट सफल गाथाओं का इस दो दिवसीय कार्यशाला में प्रदर्शन किया गया तथा इन नवाचारों पर निर्मित 7 फिल्मों का भी प्रदर्शन किया गया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में प्रदर्शित नवाचारों से अब सारे देश में आदर्श गाँव बनाने की दिशा में सुनियोजित प्रयास होंगे। गाँव को सँवारकर देश-प्रदेश को समृद्ध बनाने की दिशा में हुए नवाचारों को कार्यशाला में मौजूद केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह, प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव सहित सभी संसद सदस्यों, जिला कलेक्टरों और सरपंचों ने सराहा। प्रमुख विशेषता यह है कि नार्थ ईस्ट राज्यों- असम, अरुणाचल और सिक्किम के प्रतिनिधियों ने हिन्दी में प्रस्तुतीकरण दिया।

उत्कृष्ट प्रयासों के नवाचारों को प्रदर्शित करने की श्रृंखला की शुरुआत की गयी महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग द्वारा

ग्रामीण विकास को नई दिशा

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीताशरण शर्मा ने कहा कि शहरीकरण के कारण गाँव पीछे छूट गए, उनकी सुविधाएँ छिन गईं। भारत का विकास गाँवों के विकास के बिना नहीं हो सकता। प्रदेश में कृषि के सर्वांगीण विकास से गाँवों को आगे आने में मदद मिली है। कार्यशाला ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक नई दिशा देगी तथा देश और प्रदेश इससे लाभान्वित होंगे।

स्वराज को सुराज में बदलने का प्रयास

केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री सुदर्शन भगत ने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना स्वराज को सुराज में बदलने की योजना है। इसका उद्देश्य है कि आदर्श ग्राम के आसपास के दूसरे ग्राम इनसे प्रेरणा लेकर विकास करें।

सामाजिक परिवर्तन से आदर्श ग्राम

अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने कार्यशाला के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 14वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और स्टाम्प ड्यूटी से प्राप्त राशि के साथ मनरेगा में प्राप्त राशि का कन्वर्जेंस कर ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध करवाई गई है। गाँवों में रोजगार के अवसर बढ़ाने में सांसदों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सामाजिक परिवर्तन लाकर आदर्श ग्राम विकसित किए जा सकते हैं।

कार्यशाला में केन्द्रीय पंचायत सचिव श्री एस.एन. विजयानंद, केन्द्र से आए सांसदगण, सांसद आदर्श ग्राम योजना के मध्यप्रदेश में नोडल अधिकारी आयुक्त पंचायत राज श्री रघुवीर श्रीवास्तव, कलेक्टर तथा सरपंच शामिल थे।

संचालित महात्मा गांधी टंटा मुक्त गाँव योजना से। इस गाँव में अब कोई झगड़ा-टंटा नहीं होता। लोग आपस में मिल बैठकर ही समस्या सुलझा लेते हैं। सामाजिक सौहार्द्र की कल्पना को सार्थक करती इस पहल को सभी प्रतिनिधियों ने हृदय से सराहा।

कार्यशाला में आन्ध्रप्रदेश के नेल्लूर जिले के पुट्टम राजू गाँव के समग्र विकास की गाथा को बताया गया। सांसद श्री सचिन तेन्दुलकर ने इस गाँव को गोद लिया है। यहाँ अधोसंरचना विकास, जल-संरक्षण, उद्यानिकी और ग्रामीण आजीविका के लिये उल्लेखनीय प्रयास हुए हैं। इनसे गाँव में पलायन को रोकने में सफलता मिली है। महाराष्ट्र राज्य में रियल रूरल बूस्टअप इनिशिएटिव के जरिये ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में हितग्राहियों को मदद देने की शुरुआत से उनके रोजगार की सफलता तक की प्रक्रिया अपनायी जा रही है। इसमें हितग्राहियों को वे जब तक पूरी तरह निपुण नहीं हो जाते, तब तक उनका कौशल उन्नयन किया जाता है। इसके बाद उन्हें रोजगार के लिये बैंक से वित्त सहायता उपलब्ध करवायी जाती है। उत्पादित सामग्री के विक्रय और बाजार की व्यवस्था का भी इस नवाचार में प्रदर्शन किया गया। असम के सुबनखाटा बक्सा जिले में समुदाय आधारित सिंचाई व्यवस्था "अरण्यक" का प्रभावी प्रदर्शन हुआ। असम के अनेक गाँव हर साल पानी की किल्लत से जूझते हैं। समस्या के समाधान के लिये विभिन्न गाँव के लोग एकजुट होकर पहाड़ों पर बोरी-बँधान डेम तैयार करते हैं और हर साल बाँध की मरम्मत में भी भागीदारी करते हैं। इसमें हर घर से एक व्यक्ति श्रमदान के रूप में सहयोग प्रदान करता है। एक दल में करीब 6000 ग्रामीण तक शामिल होकर बाँध बनाने में मदद करते हैं। इस अनूठी पहल से विभिन्न गाँवों में पानी की आपूर्ति संभव हुई है। इससे पहले 10 से 20 किलोमीटर दूर तक से पानी लाना पड़ता था। पानी की आपूर्ति के साथ ही प्राकृतिक साधनों का उपयोग कर 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में नर्सरी उत्पादन की पहल भी

गाँवों का समग्र विकास और मध्यप्रदेश

कार्यशाला में प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि गाँवों के समग्र विकास की कल्पना से मध्यप्रदेश में कार्य किया जा रहा है। प्रदेश स्मार्ट विलेज की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के सभी ग्रामों में शत-प्रतिशत आवागमन की कनेक्टिविटी इस वर्ष पूरी कर ली जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रदेश में 62 हजार किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है जो देश में सबसे अधिक है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 19 हजार किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है। पंच-परमेश्वर योजना में गाँवों का विकास किया गया है। ग्रामों के सम्पूर्ण विकास के लिए सामाजिक सरोकारों के बारे में जागरूक करना होगा, जिसमें शत-प्रतिशत साक्षरता, नशाबंदी और स्वच्छता के लिए जन-जागरूकता लानी होगी।

की गयी है।

अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न गाँवों में स्वच्छता के लिये अपनाये गये नवाचारों का प्रस्तुतीकरण भी हुआ। यहाँ घरों में परम्परागत शौच की वजह से गंदगी और बीमारी के फैलने का खतरा रहता था। यहाँ स्वच्छता अभियान के जरिये समुदाय की सोच में सकारात्मक बदलाव लाने में सकारात्मक सफलता मिली है। स्थानीय संसाधनों से घरों में बेहतर शौचालय बनाये गये हैं। गाँव में शिक्षा के विस्तार से विकास के प्रति जागरूकता आयी है और लोगों में भाईचारा बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास योजनाओं में पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये "पंचायत प्रश्नोत्तरी" की अनूठी पहल का प्रदर्शन भी हुआ। इसमें लोगों को मनोरंजक तरीकों से गाँव के विकास की योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है। केरल की ग्राम पंचायत इरावीपेरुर में टाटा कन्सलटेंसी सर्विस और गाँव में गठित जागरूकता समिति की मदद से गाँव की तस्वीर बदलने की दिशा में हुए कामों को प्रदर्शित किया गया। यहाँ प्लास्टिक वेस्ट के उपयोग से सड़कों का निर्माण, हरित ग्राम की अवधारणा के तहत भू-जल संरक्षण, वर्षा जल संचय, पॉली-हाउस और चारागाह विकास की योजनाओं को दर्शाया गया। मनरेगा अंतर्गत यहाँ महिला स्व-सहायता समूह को केला उत्पादन के लिये मदद मुहैया करवायी जा रही है। इस ग्राम पंचायत को

आईएसओ प्रमाण-पत्र मिला है। झारखण्ड राज्य में सामुदायिक बकरी-पालन के जरिये महिलाओं की आजीविका और आर्थिक विकास के प्रयासों को कार्यशाला में प्रदर्शित किया गया। बकरी के नस्ल सुधार, स्वास्थ्य प्रबंधन, उत्तम आहार, उत्पादकता वृद्धि और बीमा योजनाओं में समुदाय की भागीदारी को भी दर्शाया गया। इन प्रयासों से जहाँ बकरी के वजन में 6 किलो तक वृद्धि होती है, वहीं हितग्राही को पहले की तुलना में 6000 से 7000 रुपये तक का अधिक लाभ हो रहा है। झारखण्ड में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिये आशा कार्यकर्ताओं की मदद से चल रहे नवाचार "एकजुट" का प्रस्तुतीकरण भी कार्यशाला में हुआ। इस अभियान में 3 जिलों की 2 लाख महिलाओं को शिशु मृत्यु दर की रोकथाम और रणनीति के बारे में शिक्षा प्रदान की गयी। महिलाओं को शिक्षित करने के लिये रोचक खेल गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। खेल-खेल में उन्हें शिशु स्वास्थ्य रक्षा के बारे में समझाया जाता है। मध्यप्रदेश में भी इसी तरह ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित "साँझी सेहत कार्यक्रम" में एक लाख ग्रामीण महिलाओं को जोड़ा जा चुका है। उन्हें बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के बारे में शिक्षित करने में सफलता मिली है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में टाटा समूह की मदद से गरीब किसानों के उत्थान के लिये हुए नवाचार "कृषि समृद्धि" के बारे में प्रस्तुतीकरण हुआ। यहाँ कृषि उत्पादन और विक्रय व्यवस्था कम वर्षा में अधिक उत्पादन के लिये वैज्ञानिक विधियों के उपयोग, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम और पशुपालन सहित विभिन्न आजीविका गतिविधियों के जरिये ग्रामीणों के आर्थिक उत्थान की दिशा में हुए प्रयासों को बताया गया। उर्वरकों के उपयोग में कमी लाने और जैविक खाद के जरिये कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये हुए प्रयासों को भी बताया गया।

सिक्किम देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसे वर्ष 2008 में निर्मल राज्य का पुरस्कार मिला है। वर्ष 2016 में सिक्किम को जैविक राज्य घोषित करने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं। यहाँ स्वच्छता के लिये जैविक और अजैविक कचरा प्रबंधन, वेस्ट प्लास्टिक के विक्रय और कचरे से बनायी गयी खाद (उर्वरा शक्ति) के विक्रय से ग्राम पंचायतों को हो रही अतिरिक्त आय की जानकारी दी गयी। सिक्किम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में सफल कार्य हुए हैं। सिक्किम में हुए स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों से प्रभावित होकर मध्यप्रदेश के रीवा क्षेत्र के संसद सदस्य श्री जनार्दन मिश्रा ने सिक्किम के प्रतिनिधियों को रीवा आकर लोगों में जागरूकता लाने के लिये आमंत्रित किया।

जे.के. ट्रस्ट की मदद से पशु-पालकों की समस्याओं के समाधान और दुग्ध उत्पादन वृद्धि की दिशा में हुए प्रयासों पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी कार्यशाला में किया गया।

नवाचार के क्रियान्वयन से बदलाव

मंडला जिले में सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक स्तर के सुधार के लिये ज्ञानार्जन प्रोजेक्ट लागू किया गया है। प्रोजेक्ट से कक्षा 10 और 12वीं के परीक्षा परिणाम में काफी सुधार आया है। प्रोजेक्ट की प्रस्तुति कलेक्टर मंडला श्री लोकेश जाटव द्वारा दी गई। श्री जाटव ने बताया कि जिले के सभी हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों का एक समान टाईम टेबल लागू किया गया। इससे शाला के प्राचार्य और शिक्षकों की उपस्थिति समय पर सुनिश्चित हो सकी है। आदिवासी बच्चों के गणित और विज्ञान विषय में सुधार के लिये शाला में अधिक समय दिया गया। इस प्रोजेक्ट पर निगरानी के लिये पोर्टल भी तैयार किया गया जिसके जरिये प्रत्येक शाला की शैक्षणिक गतिविधियों की नियमित समीक्षा किये जाने की व्यवस्था है। उन शालाओं पर विशेष ध्यान दिया गया जहाँ बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं। जिले में शिक्षकों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम लागू किया गया। टीचर क्लब का गठन किया गया। शालाओं में विज्ञान प्रयोगशालाओं को उनकी आवश्यकतानुसार सामग्री दी गई।

जिले में ज्ञानार्जन प्रोजेक्ट के बाद कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में सुधार आया है। परीक्षा परिणाम में पिछले वर्ष के मुकाबले 5 प्रतिशत सुधार होकर यह 66.67 प्रतिशत हो गया। कक्षा 12वीं का परिणाम वर्ष 2014-15 में 93.52 प्रतिशत रहा। कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 138 छात्रों ने 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये। कक्षा 12 के 17 छात्रों ने एनआईटी और आईआईटी में प्रवेश पाने में सफलता पाई।

कार्यशाला में झाबुआ जिले की मेलीदारापेयंग ग्राम पंचायत के महिला निगरानी दल का प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि झाबुआ और मेघनगर के 50 ग्रामों में महिला निगरानी दल बनाये गये हैं। यह दल स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय निर्माण, 5 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। निगरानी दल ने जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ दिलाने में मदद की है। निगरानी दल के कामों के अच्छे परिणाम सामने आये हैं।

झाबुआ जिले में 8000 परिवार सरकारी योजना का लाभ, 1578 परिवारों के यहाँ शौचालय निर्माण करवाया गया। महाराष्ट्र राज्य की तरफ से जास्मीन फूलों की खेती से ग्राम पंचायत की बदलती तस्वीर के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि जास्मीन की खेती कम पानी के क्षेत्रों में ही की जा सकती है। महाराष्ट्र की 35 से अधिक पंचायतों ने इस पर ध्यान दिया है। बताया गया कि जिस किसान ने 500 वर्ग मीटर में जास्मीन की खेती की उसे 40 हजार रुपये सालाना आमदनी हुई है।

उत्कृष्ट कार्यों की प्रदर्शनी

ग्राम विकास के लिये अपनाये इकतीस श्रेष्ठ नवाचार प्रदर्शित

राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान विधानसभा में आयोजित इस प्रदर्शनी में विभिन्न राज्यों से आये 31 संस्थानों ने अपनी नवाचारी पहल का प्रदर्शन किया है। इसमें ग्राम पंचायत, गैर-सरकारी संगठन, शासकीय विभाग तथा कार्पोरेट घराने शामिल हैं। कुल प्राप्त 592 प्रविष्टियों में से 31 प्रविष्टियों को प्रदर्शन के लिये चुना गया। इन नवाचारों की प्रदर्शनी का उद्घाटन केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह तथा मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया।

राष्ट्रीय कार्यशाला में आयोजित इस प्रदर्शनी में मध्यप्रदेश के 4 नवाचार प्रदर्शन के लिये चुने गये। इनमें हरदा जिले की ग्राम पंचायत निमाना खुर्द में विकसित ग्रामीण अधोसंरचना, पर्यावरण, स्वच्छता, नैतिक मूल्यों के संतुलित एवं समन्वित विकास के लिये अपनाया गया मॉडल, आदिम-जाति कल्याण विभाग जिला मण्डला द्वारा शाला-स्तर पर गुणवत्ता शिक्षा के लिये संचालित ज्ञानार्जन प्रोजेक्ट और झाबुआ जिले में इण्डो-ग्लोबल सोशल सर्विस सोसायटी द्वारा पौष्टिकता एवं खाद्य सुरक्षा के लिये संचालित महिला निगरानी दल के नवाचार शामिल हैं।

प्रदर्शनी में महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग द्वारा संचालित महात्मा गाँधी टंटा मुक्त गाँव योजना, मित्र संस्था द्वारा पुणे जिले में मोगरा फूल उत्पादन के लिये आरंभ फुलशेटी मॉडल और लातूर जिले में स्वयं शिक्षण प्रयोग संस्था द्वारा ऊर्जा में स्वावलम्बन के लिये चलायी जा रही ऊर्जा सखी योजना को भी शामिल किया गया है। पुणे जिले की ग्राम पंचायत टिक्केरवाड़ी में जन-भागीदारी से बायोगैस से बिजली उत्पादन, आर.ओ. वॉटर उपलब्धता, हर खेत में ड्रिप इरीगेशन और हर घर में सौर ऊर्जा उपलब्ध करवाने के लिये अपनायी गयी कार्य-योजना भी प्रदर्शित है।

कार्पोरेट घरानों द्वारा ग्रामीण विकास के लिये की जा रही पहल भी प्रदर्शनी में शामिल है। इसमें जीएमआर द्वारा आन्ध्रप्रदेश में उद्यमिता विकास के लिये किये जा रहे प्रयास, टाटा कन्सलटेंसी सर्विसेस द्वारा महाराष्ट्र के अमरावती जिले में चलाये जा रहे समन्वित कृषि विकास प्रकल्प, जे.के. ट्रस्ट द्वारा 8 राज्यों में चलाये जा रहे पशुधन विकास केन्द्रों की कार्य-प्रणाली दर्शायी गयी है।

प्रदर्शनी में मत्स्य निदेशालय उड़ीसा द्वारा मत्स्य-कृषकों को मोबाइल से जानकारी देने, सिक्किम राज्य की मेल्ली दारा पियोंग ग्राम पंचायत द्वारा आरंभ उर्वरा शक्ति खाद उत्पादन इकाई की कार्य-प्रणाली, तमिलनाडु में एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउण्डेशन द्वारा भू-जल संवर्धन तथा जल-ग्रहण के क्षेत्र में किये जा रहे कार्य, गुजरात में कच्छ नव-निर्माण संस्था द्वारा सेतु कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विकास कोष की अवधारणा को दर्शाया गया है।

इसी प्रकार झारखण्ड राज्य आजीविका उत्थान समिति द्वारा विकसित बकरी-पालक संघ के प्रबंधन, छत्तीसगढ़ में ठाकुर प्यारेलाल सिंह पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिये अपनाये गये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम तथा असम के जिला बक्सा में आरन्यक संस्था द्वारा सुवनखता क्षेत्र में परम्परागत सिंचाई प्रणाली को सुरक्षित रखते हुए इसके संवर्धन के लिये किये जा रहे प्रयास और राजस्थान के उदयपुर जिले में सेवा मंदिर संस्था द्वारा देलवाड़ा क्षेत्र में जन-भागीदारी से चलाये जा रहे स्थानीय प्रबंधन एवं स्वच्छता से धरोहर सहेजने की दिशा में किये जा रहे कार्यों को प्रदर्शित किया गया है।

विकसित आदर्श ग्राम से अन्य ग्राम होंगे प्रेरित

सांसद आदर्श ग्राम योजना के संबंध में उत्तम कार्य प्रदर्शन पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन अवसर पर 24 सितम्बर को केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना में करीब 800 गाँव के विकसित होने पर अन्य गाँवों को भी प्रेरणा मिलेगी और इससे ग्रामीण विकास की प्रगति की रफ्तार अपेक्षा अनुरूप और तेज होगी। उन्होंने योजना में अधिक से अधिक जन-भागीदारी पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के लिये बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। विकास कार्यों में सरकारी धन के साथ जब ग्राम पंचायत का भी पैसा लगेगा तो इससे गाँव के लोगों में जिम्मेदारी की भावना बढ़ने के साथ-साथ जागरूकता भी बढ़ेगी। समापन अवसर पर केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री सुदर्शन भगत और प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव भी मौजूद थे।

सांसदों द्वारा सुझाव

कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के सांसद श्री जगदम्बिका पाल ने मध्यप्रदेश की लगातार 20 प्रतिशत से अधिक कृषि विकास दर बने रहने पर प्रशंसा की। उन्होंने ऐसी कार्यशाला उत्तर प्रदेश में भी किये जाने का आग्रह किया। श्री पाल ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का दिल है, आज यहाँ ग्रामीण विकास पर जो चर्चा हुई है, उससे विकास की लहर कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलेगी।

सांसद श्री भैरवप्रसाद मिश्रा ने ग्रामीण विकास की प्रस्तुतियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में जो स्वयं सेवी संगठन कार्य कर रहे हैं, यदि वे उनके संसदीय क्षेत्र के ग्रामों से जुड़ते हैं तो उन्हें हरसंभव सहायता दी जायेगी। रीवा के सांसद श्री जनार्दन मिश्र ने सांसद को श्रेष्ठ कार्य करने वाले गाँव का भ्रमण करवाये जाने की बात कही। इस अवसर पर केन्द्रीय ग्रामीण विकास सचिव श्री जे.के. महापात्र, केन्द्रीय सचिव पंचायत राज श्री विजय आनंद, प्रदेश की अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा और केन्द्रीय संयुक्त सचिव (एस.ए.जी.वाय.) श्रीमती अपराजिता सारंगी भी मौजूद थीं। सांसद आदर्श ग्राम योजना के मध्यप्रदेश के नोडल अधिकारी तथा आयुक्त पंचायत श्री रघुवीर श्रीवास्तव ने आभार प्रदर्शन अवसर पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की मध्यप्रदेश में स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में सांसद आदर्श ग्राम योजना में 37 ग्रामों का चयन किया जाकर प्राथमिक सर्वे, योजना निर्माण, योजना का ग्राम सभा में अनुमोदन उपरांत धरातल पर कार्य प्रारंभ हो गया है। शीघ्र ही प्रदेश के 55 हजार गाँवों में स्मार्ट ग्राम-स्मार्ट पंचायत का क्रियान्वयन आगामी पाँच वर्षों में पूर्ण किया जायेगा।

सांसद आदर्श ग्राम योजना में

राष्ट्रीय स्तर पर इकतीस संस्थाएँ पुरस्कृत

उत्तम कार्यों के परिणाम श्रेष्ठत्व प्रदान करते हैं। इसका प्रतीक है सम्मान और पुरस्कार। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किये गये नवाचारों ने जहाँ सफल गाथाओं का इतिहास रचा वहीं उन्हें विकास का उपक्रम रचने के लिए कार्यशाला में सम्मानित भी किया गया।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह ने ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने के लिये सांसद आदर्श ग्राम योजना में किये जा रहे नवाचारों के लिये 31 संस्थाओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। यह पुरस्कार ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्तम कार्य प्रदर्शन के लिये दो दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर दिये गये। कार्यक्रम में केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री सुदर्शन भगत, प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव उपस्थित थे।

पुरस्कृत संस्थाओं में मध्यप्रदेश की 4 संस्थाएँ शामिल हैं। जिला पंचायत मण्डला द्वारा गुणात्मक शिक्षा के लिये संचालित ज्ञानार्जन परियोजना, झाबुआ में इण्डो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसायटी द्वारा पोषण आहार के लिये संचालित निगरानी दल योजना, मण्डला में वॉटर संस्था द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के सहभागी प्रबंधन के लिये चलाये जा रहे कार्यक्रम तथा हरदा जिले की निमाचलखुर्द ग्राम पंचायत में अधोसंरचना विकास तथा स्वच्छता एवं पर्यावरण सुरक्षा के लिये चलाये जा रहे समन्वित कार्यक्रम को पुरस्कृत किया गया।

महाराष्ट्र के गृह विभाग द्वारा संचालित महात्मा गाँधी टंटा मुक्त गाँव योजना, महाराष्ट्र में ही बायफ संस्था द्वारा पुष्प-उत्पादन पर केन्द्रित फुलशेटी कार्यक्रम, आन्ध्रप्रदेश के नेल्लोर जिले में अधोसंरचना विकास-पेयजल-स्वच्छता तथा विद्युत आपूर्ति के लिये संचालित योजना और महाराष्ट्र में सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन द्वारा संचालित बूस्ट अप परियोजना को पुरस्कृत किया गया।

इसी प्रकार असम में अरण्यक संस्था द्वारा सामुदायिक प्रबंधन पर आधारित परम्परागत सिंचाई व्यवस्था को बनाये रखने के लिये किये जा रहे प्रयासों, अरुणाचल प्रदेश में स्वच्छ ग्राम पंचायत योजना और छत्तीसगढ़ में देलार गाँव ग्राम पंचायत द्वारा विकसित स्वशासन मॉडल को भी सम्मानित किया गया। टाटा कंसलटेंसी सर्विसेस द्वारा महाराष्ट्र के वरूड़ क्षेत्र में संचालित कृषि समृद्धि कार्यक्रम, सिक्किम में मेल्लीदारा प्योंग ग्राम पंचायत द्वारा संचालित वेल्थ फ्राम वेस्ट परियोजना, सेल्को सोलर प्रायवेट लिमिटेड द्वारा कर्नाटक में संचालित शिक्षा के लिये प्रकाश कार्यक्रम को भी पुरस्कृत किया गया।

तमिलनाडु में एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउण्डेशन द्वारा जल-ग्रहण, झारखण्ड में एकजुट संस्था द्वारा महिला स्वास्थ्य, छत्तीसगढ़ में जे.के. ट्रस्ट द्वारा पशुधन, ठाकुर प्यारेलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायत एवं रूरल डेव्हलपमेंट द्वारा छत्तीसगढ़ में पंचायत राज प्रशिक्षण, केरल की ऐरावी पेरूर ग्राम पंचायत, झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन की बकरी पालन परियोजना, असम ग्रामीण अधोसंरचना एवं कृषि सेवा समिति की सामुदायिक क्रय योजना, संबलपुर ग्राम पंचायत छत्तीसगढ़, मत्स्य-पालन विभाग उड़ीसा की मोबाइल से सूचना प्रदाय योजना, कादीरूर ग्राम पंचायत केरल द्वारा संपूर्ण स्वच्छता अभियान में संचालित सुस्थिर शुचिता कार्यक्रम, सेवा मंदिर देलवाड़ा राजस्थान, स्वयं शिक्षण प्रयोग महाराष्ट्र की ऊर्जा सखी योजना, कच्छ नव-निर्माण अभियान गुजरात, एक्शन फॉर एग्रीकल्चरल रिन्यूअल इन महाराष्ट्र संस्था, ठिकेकर वाड़ी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र, जीएमआर वरलक्ष्मी फाउण्डेशन आन्ध्रप्रदेश की ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता विकास योजना तथा ग्राम विकास संस्था उड़ीसा को पुरस्कार प्रदान किये गये।

पुस्तकों का विमोचन

कार्यक्रम में सांसद आदर्श ग्राम योजना के 101 सफल नवाचारों के संकलन और ई-बुक का विमोचन किया गया। साथ ही प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार की गई स्मार्ट ग्राम-स्मार्ट पंचायत पुस्तिका का विमोचन भी किया गया।

लातूर जिले की ऊर्जा सखी योजना की सराहना

सांसद आदर्श ग्राम योजना में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्तम कार्य प्रदर्शन की श्रृंखला में लातूर जिले में स्वयं शिक्षण प्रयोग संस्था द्वारा ऊर्जा में स्वावलंबन के लिए चलायी जा रही ऊर्जा सखी योजना की सभी ने सराहना की।

राष्ट्रीय कार्यशाला में मध्यप्रदेश के हरदा जिले की टिमरनी तहसील की निमाचा खुर्द ग्राम पंचायत में किए गए अधोसंरचना के निर्माण कार्य, स्वच्छता, पर्यावरण, पेयजल, शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों पर जानकारी दी गई। उड़ीसा राज्य में कृषि और मत्स्य-पालन संबंधी जानकारी एसएमएस और हेल्पलाइन के जरिए दिये जाने और मछुआरों के हित में किए गए कार्यों का प्रस्तुतीकरण दिया गया।

केरल प्रांत की ग्राम पंचायत कजरु में समग्र स्वच्छता अभियान, शौचालय निर्माण, ठोस और तरल अपशिष्ट को सही स्थान पर पहुँचाकर उसका उपयोग करने संबंधी प्रस्तुतीकरण दिया गया। राजस्थान के उदयपुर जिले की सेवा मंदिर संस्था द्वारा देलावाड़ा क्षेत्र में जन-भागीदारी से चलाए जा रहे स्थानीय प्रबंधन और स्वच्छता की दिशा में किए जा रहे कार्यों पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। संस्था द्वारा नागरिक विकास मंच का गठन कर कार्य करवाए जा रहे हैं। गुजरात में कच्छ नवनिर्माण संस्था द्वारा सेतु कार्यक्रम में ग्रामीण विकास कोष की अवधारणा बतायी गयी। महाराष्ट्र प्रांत की एक्शन संस्था द्वारा विदर्भ में खेती के क्षेत्र में 29 ग्राम में जन-जागरूकता के माध्यम से किए गए कार्यों की सभी ने सराहना की। कार्पोरेट घरानों द्वारा ग्रामीण विकास के लिए की जा रही पहल में जी.एम.आर. द्वारा आन्ध्रप्रदेश में उद्यमिता विकास के लिए किए जा रहे प्रयास की जानकारी दी गयी।

केन्द्रीय मंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह द्वारा प्रदेश की

ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा

ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने 24 सितम्बर को मध्यप्रदेश में संचालित ग्रामीण विकास योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने मध्यप्रदेश में सांसद आदर्श ग्राम योजना में चयनित गाँव में हो रहे विकास कार्य और नवाचारों की जानकारी भी ली। इस दौरान केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री सुदर्शन भगत मौजूद थे।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह ने इस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुरूप आदर्श ग्राम के विकास में संसद सदस्यों की जागरूकता को सराहा। उन्होंने कहा कि जन-प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अमले तथा ग्रामीणों की भागीदारी से यह योजना सफलता के नये आयाम तय करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से जन-जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में अब और अधिक रुचि से कार्य होंगे। इस अवसर पर चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने योजना में चयनित गाँव में सभी विकास योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के समन्वित क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आदर्श गाँव में खेल गतिविधियों के विकास के लिये मिनी खेल स्टेडियम बनाये जायेंगे।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि कार्यशाला में प्रदर्शित नवाचारों और ग्राम विकास के अनुभवों का लाभ सुदूर ग्रामों तक पहुँचेगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में पिछले वर्षों में मध्यप्रदेश ने नई ऊँचाइयाँ हासिल की हैं। प्रदेश ने 24 प्रतिशत कृषि विकास दर प्राप्त की है, जिसमें मनरेगा के कपिलधारा कुओं से सिंचाई की सुविधा के विकास का भी योगदान है। कपिलधारा कुओं से करीब 3 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सुलभ हुई है। यह सभी गरीब और सीमांत कृषक हैं, जो पहले मजदूरी के लिये मजबूर थे, लेकिन अब वे आर्थिक रूप से सक्षम हैं। श्री भार्गव ने प्रदेश में आजीविका कार्यक्रमों की सफलता का भी जिक्र किया। इससे पहले मध्यप्रदेश में सांसद आदर्श ग्राम योजना में चयनित 7 आदर्श गाँवों में हुए बेहतर कार्यों का प्रस्तुतीकरण भी हुआ। सीधी जिले के आदर्श ग्राम करवाही, सीहोर जिले के ग्राम जहानपुर, टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत गोर, होशंगाबाद जिले के ग्राम सांगाखेड़ा कलां और इंदौर जिले के ग्राम पोटलोद और रीवा जिले के आदर्श ग्राम हरहुआ में किये गये नवाचार कार्यों का बारी-बारी से वीडियो प्रेजेंटेशन हुआ। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास डॉ. अरुणा शर्मा ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क, सुदूर ग्राम एवं खेत सड़क, इंदिरा आवास, मनरेगा तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रगति का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस मौके पर केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों, आवंटन की उपलब्धता सहित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में सांसद सर्वश्री आलोक संजर, उदयप्रताप सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते, जनार्दन मिश्रा, गणेश सिंह, डॉ. वीरेन्द्र कुमार और श्रीमती रीति पाठक उपस्थित थीं। केन्द्रीय मंत्री श्री सिंह ने 15 अक्टूबर, 2014 को विश्व हाथ-धुलाई दिवस के अवसर पर वर्ल्ड रिकार्ड बनाने में योगदान के लिये ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, स्वच्छ भारत मिशन मध्यप्रदेश, स्कूल शिक्षा विभाग तथा प्रदेश के सभी जिलों को गिनीज बुक से प्राप्त ऑफिशियल पार्टीसिपेशन सर्टिफिकेट प्रदान किये। इस अवसर पर सचिव, ग्रामीण विकास, भारत सरकार श्री जे.के. महापात्रा, अतिरिक्त सचिव श्री अमरजीत सिन्हा और संयुक्त सचिव श्रीमती अपराजिता सारंगी उपस्थित थे।

ग्राम जहानपुर, जिला सीहोर

आदर्श ग्राम का आधार तैयार

विगत 24 सितम्बर को ग्रामीण विकास मंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह द्वारा मध्यप्रदेश में संचालित ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान मध्यप्रदेश में सांसद आदर्श ग्राम योजना में चयनित 7 आदर्श ग्रामों का प्रस्तुतीकरण हुआ प्रस्तुत है एक रिपोर्ट-

जहानपुर मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के जनपद पंचायत बुदनी की ग्राम पंचायत है। इसे राज्यसभा सांसद श्री अनिल माधव दवे ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए चयनित किया है। राजधानी भोपाल से 75 किलोमीटर दूर बुदनी-बाड़ी राज्यमार्ग पर स्थित जहानपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा है। जनपद पंचायत बुदनी से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत जहानपुर में विकास की सारी संभावनाएँ मौजूद हैं। 1802 आबादी वाले ग्राम जहानपुर में सांसद श्री अनिल माधव दवे के मार्गदर्शन में स्थानीय प्रशासन द्वारा बेसलाइन सर्वे कर एक डाटाबेस बनाकर प्राथमिकताएँ तय की गईं। आवश्यकता अनुरूप पंचवर्षीय कार्ययोजना बनायी गयी। और अब कार्य प्रारंभ कर दिये गये। किये जाने वाले कार्यों में ग्राम पंचायत के समस्त मार्गों पर 3.7 किलोमीटर सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण, समस्त स्कूलों एवं आँगनवाड़ी भवन में बाउन्ड्रीवाल और सामुदायिक भवनों का निर्माण, जहानपुर में उप-स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण, पशु चिकित्सालय का निर्माण, नर्मदा नदी पर घाट का निर्माण, मिनी इंडोर खेल परिसर का निर्माण, पुस्तकालय का निर्माण और ग्राम पंचायत जहानपुर में आवासहीन ग्रामीणों को इंदिरा आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत शत-प्रतिशत आवास उपलब्ध किया जाना शामिल है। ग्राम पंचायत जहानपुर में 4 प्राथमिक विद्यालय और 2 माध्यमिक विद्यालय हैं। सभी विद्यालयों में शौचालय और हैण्डवॉश यूनिट बनाई गई हैं। यहाँ बच्चों को दिए जा रहे मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता पर ग्राम पंचायत द्वारा गठित समिति निरन्तर नजर रखती है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में सड़कों पर प्रकाश के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं। अभी ग्राम पंचायत जहानपुर में उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है लेकिन यहाँ समय-समय पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता है। आंगनवाड़ियों द्वारा गर्भवती स्त्रियों, नवजात बच्चों और छोटे बच्चों का समय पर टीकाकरण कराया जाता है साथ ही बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए दवाईयाँ और पोषण आहार भी दिया जाता है। गाँव में शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव हो रहा है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में अब तक 1189 लोगों को स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। ग्राम पंचायत जहानपुर में लोगों को कृषि के इतर अन्य रोजगार गतिविधियों से भी जोड़ा जा रहा है।

महिलाओं को मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सिलाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है वहीं युवाओं को दूध डेयरी, किराना, सब्जी उत्पादन, उद्यानिकी, लघु और कुटीर उद्योग आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षित बेरोजगारों को रूरल सोर्स स्किल अकेडमी प्रायवेट लिमिटेड के माध्यम से बुदनी में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

कृषि जहानपुर का मुख्य व्यवसाय है और उन्नत कृषि के बिना कोई भी ग्राम आदर्श ग्राम नहीं बन सकता। इसीलिए यहाँ जल संरक्षण के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया जा रहा है और मृदा परीक्षण कर सही फसल लगाने के लिए प्रशिक्षित भी किया गया है। इसी के तहत ग्राम पंचायत जहानपुर में आने वाले सभी ग्रामों के लिए कृषि शिविर का आयोजन किया गया जिसमें कृषकों को आधुनिक पद्धति से कृषि करने के लिए जरूरी मार्गदर्शन दिया गया और मृदा हेल्थ कार्ड वितरित किए गए। शिविर में कृषकों को जैविक खेती और रेशम उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। जहानपुर में जैविक खेती के लिए कृषकों के खेतों में वर्मी कम्पोस्ट पिट का निर्माण भी कराया गया है।

ग्राम जहानपुर को सांसद आदर्श ग्राम योजना में चयनित करने के बाद सांसद श्री अनिल माधव दवे यहाँ चल रहे विकास कार्यों पर नजर रखे हुए हैं और समय-समय पर पंचायत क्षेत्र में ग्राम भ्रमण करते हैं। ग्रामीणों के साथ ग्राम सभा में शामिल होते हैं तथा समूह चर्चा कर विकास कार्यों में समाज को सहभागी बनाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। उम्मीद है जहानपुर निर्धारित समय सीमा में आदर्श ग्राम का स्वरूप ले लेगा।

● **प्रस्तुति - मोहन सिंह पाल**

ग्राम पोटलोद, जिला सीहोर

आदर्श ग्राम बनने की राह पर पोटलोद

मध्यप्रदेश में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गाँवों को आदर्श गाँव बनाने के प्रयास लगातार किये जा रहे हैं। ऐसा ही एक गाँव है पोटलोद जिसका चयन सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए किया गया है। इंदौर जिले के जनपद पंचायत सांवेर में स्थित पोटलोद को सांसद और लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने योजना के तहत गोद लिया है। सांसद ने पंचायत में कई विकासात्मक कार्य सुसाध्य किये हैं। ग्राम पोटलोद में कुल 632 परिवार निवास करते हैं जिनमें 203 बीपीएल (गरीबी रेखा के नीचे) वाले परिवार हैं। गाँव में शिक्षा के क्षेत्र में काफी सराहनीय कार्य किए गए हैं। यहां तीन प्राथमिक स्कूल और एक माध्यमिक स्कूल है जिनमें लगभग 688 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। गाँव में दो आंगनवाड़ी केन्द्र और एक उप स्वास्थ्य केन्द्र भी है। गाँव में उप स्वास्थ्य केन्द्र और आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी की जाती है जिससे गाँव में कुपोषित बच्चों की संख्या नाम मात्र ही है। गाँव में नियमित स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं।

स्वच्छता के लिए ग्राम पंचायत द्वारा 9 मोहल्ला समितियाँ गठित की गई हैं जो गाँव में स्वच्छता के लिए लोगों को जागृत करने और गाँव को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए जागरूक कर रही हैं। गाँव में ग्राम पंचायत द्वारा 2 स्वच्छताकर्मी नियुक्त किए गए हैं।

ग्राम पोटलोद में विद्युत आपूर्ति के लिए 2 ट्रांसफार्मर लगे हैं जिनसे गाँव के सभी घरों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध करायी जा रही है।

गाँव के सभी बिजली के खंबों पर प्रकाश के लिए एल.ई.डी. बल्ब लगाया जा रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा पोटलोद के विद्यालयों में विद्युत के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। ग्राम पोटलोद में पेयजल आपूर्ति एवं सार्वजनिक नल के लिए 88 लाख रुपये की योजना स्वीकृत की गई है।

ग्राम हरदुआ - जिला रीवा

विकास से बदलता परिदृश्य

एक समय था जब रीवा जिले की जनपद पंचायत सिरमौर में स्थित ग्राम हरदुआ विकास की दौड़ में पिछड़ा था। लेकिन जब से इस गाँव का चयन सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए हुआ है तब से यहाँ विकास के द्वार खुल गए हैं। ग्राम हरदुआ को सांसद, रीवा श्री जनार्दन मिश्रा ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया गया है। ग्राम हरदुआ की जनसंख्या 4794 है। यहाँ 2 शासकीय विद्यालय हैं जिनमें शिक्षा और मध्यान्ह भोजन के साथ-साथ बच्चों को स्वच्छता गतिविधियों से अवगत कराया जाता है साथ ही उन्हें कौशल उन्नयन के कार्यक्रमों से भी जोड़ा जा रहा है। गाँव में हर महीने स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाकर ग्रामीणों का इलाज कर निःशुल्क दवाई प्रदान की जाती है साथ ही उन्हें गंभीर व संक्रामक रोगों से बचाव की जानकारी देते हैं। बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा रहा है। ग्राम हरदुआ में 6 आंगनवाड़ियाँ संचालित हो रही हैं जो छोटे-बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम चला रही हैं। यहां स्वच्छ भारत अभियान और मर्यादा अभियान के तहत सभी घरों में शौचालय बनाए जा रहे हैं और खुले में शौच जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है। ग्राम पंचायत द्वारा हरदुआ में नियमित रूप से सफाई के लिए सफाईकर्मी नियुक्त किए गए हैं। सीवेज व्यवस्था के लिए सभी गलियों में पक्की नालियाँ बनाई गई हैं। सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। कई सार्वजनिक नलकूप बनाकर पेयजल की व्यवस्था की गई है। यात्रियों की सुविधाओं के लिए हरदुआ में यात्री प्रतीक्षालय भी बनाया गया है। गांव में पंच-परमेश्वर योजना के तहत सी.सी. रोड बनाई जा रही है। बच्चों के खेलने के लिए खेल मैदान का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के लिए पीडीएस भवन का निर्माण कराया जा रहा है। हरदुआ स्थित तालाब का गहरीकरण और उन्नयन किया जा रहा है ताकि सिंचाई की सुचारु व्यवस्था हो सके। ग्राम हरदुआ में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रत्येक परिवार को समग्र पोर्टल से जोड़ा गया है। गांव में लाईट के लिए बिजली के खंबों पर एल.ई.डी. लाइट्स लगाई गई हैं। कृषि विभाग द्वारा ग्रामीणों को समय-समय पर खाद, बीज के साथ-साथ फसल पूर्व प्रशिक्षण भी दिया गया है। कृषि के अलावा पशुपालन और सब्जी उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण दिया गया, वहीं महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

● **प्रस्तुति - हेमलता हुरमाड़े**

साथ ही सीवेज वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया जाएगा। गाँव में निरन्तर तालाब गहरीकरण का कार्य किया गया है जिससे सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल रहा है। ग्राम पोटलोद में कृषि के साथ-साथ पशुपालन भी मुख्य व्यवसाय है। यहाँ रोजाना 3 हजार लीटर दुग्ध उत्पादन होता है।

पशुओं की संख्या को देखते हुए ग्राम पंचायत द्वारा पशु औषधालय का निर्माण किया गया है। साथ ही लोगों को दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, पशुओं को आहार और उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा यहाँ लोगों को कृषि के साथ-साथ जैविक खेती, सब्जी उत्पादन और उद्यानिकी खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है साथ ही ग्रामीणों को समय-समय पर कृषि प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ग्राम पोटलोद में जैविक खेती के लिए 6 नाडेप निर्मित की गई हैं जबकि 20 प्रस्तावित हैं। बायोगैस प्लांट लगाया गया है। उन्नत खाद के लिए 6 वर्मी कंपोस्ट यूनिट का निर्माण किया गया है।

ग्राम पोटलोद को चन्द्रवती गंज से जोड़ने वाली मुख्य सड़क का लोक निर्माण विभाग द्वारा 15 लाख रुपये से नवीनीकरण किया गया है वहीं गाँव के अन्दर पंच-परमेश्वर योजना के तहत 14 गलियों में 28 लाख रुपये की लागत से सी.सी. रोड का निर्माण कराया गया है। ग्राम पोटलोद में बुनियादी सुविधाएँ शत-प्रतिशत लोगों तक पहुँच रही हैं। गांव में जनधन योजना के तहत सभी ग्रामीणों के बैंक खाते खोले गए हैं। सभी परिवारों को बीमा योजना में सम्मिलित किया गया है। गाँव के पात्र हितग्राहियों को समग्र योजना द्वारा नियमित रूप से पेंशन वितरित की जा रही है। ग्राम पोटलोद को आदर्श ग्राम बनाने के लिए सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन के मार्गदर्शन में पंचायत प्रतिनिधि, ग्रामीणजन और शासकीय अमले द्वारा निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इस तरह आदर्श ग्राम पोटलोद बनने की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

● **प्रस्तुति - रुचि बागड़देव**

ग्राम गोर - जिला टीकमगढ़

विकास की अभिनव पहल

मध्यप्रदेश में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गाँवों को आदर्श बनाने का क्रियान्वयन होने लगा है। प्रदेश के लगभग सभी सांसदों ने गाँवों को चयनित कर लिया है और उन्हें आदर्श ग्राम बनाने की दिशा में प्रयास करना शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक गाँव है - ग्राम पंचायत गोर। टीकमगढ़ जिले की जनपद पंचायत जतारा की ग्राम पंचायत गोर टीकमगढ़ से 25 किलोमीटर दूर टीकमगढ़-मोहनगढ़ मार्ग पर स्थित है। ग्राम पंचायत गोर की तहसील मुख्यालय मोहनगढ़ से दूरी 12 किलोमीटर और जनपद पंचायत जतारा से दूरी 45 किलोमीटर है। ग्राम गोर की आवश्यकता को देखते हुए सांसद डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने गोर गाँव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित किया है। लगभग 2 हजार लोगों की आबादी वाली ग्राम पंचायत गोर में लगभग 75 फीसदी कृषि क्षेत्र सिंचित है। सिंचाई के लिए 4 चैकडेम, 13 तालाब, 24 हैंडपंप, 145 कुएं और बोरवेल हैं। उपलब्ध संसाधनों की बात करें तो ग्राम पंचायत क्षेत्र में 3 आंगनवाड़ी केन्द्र, गोर में 4 प्राथमिक, दो माध्यमिक, एक हाईस्कूल, एक हायर सेकेण्डरी स्कूल और 3 प्रायवेट स्कूल हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक उप स्वास्थ्य केन्द्र, एक ग्रामीण बैंक, एक डाकघर, ग्राम पंचायत भवन, एक बालिका छात्रावास, एक राजस्व निरीक्षक कार्यालय, एक दुग्ध संग्रहण केन्द्र है। गोर को आदर्श ग्राम बनाने की कार्ययोजना के लिए सांसद डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने ग्रामवासियों के साथ गाँव की चौपाल पर गांव के विकास के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। चर्चा में सांसद ने ग्रामीणों से सामाजिक सरोकार के विषयों और स्वच्छता को अपनाने का आह्वान किया। चौपाल में जिला कलेक्टर, जिला एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जिला स्तरीय शासकीय अधिकारियों ने अपने विभाग की कार्ययोजना पर ग्रामीणों को अवगत कराया।

आदर्श ग्राम बनने के लिए सबसे जरूरी है स्वच्छता। इसी को ध्यान में रखकर यहां स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत समय-समय पर स्वच्छता शिविर लगाकर लोगों को जागृत किया जा रहा है। घर-घर में शौचालय निर्माण कराया जा रहा है वहीं बच्चों को स्कूलों में हाथ धुलाई और सम्पूर्ण स्वच्छ गतिविधियों के बारे में सिखाया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों को खुले में शौच की बुराई से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ग्राम में मार्गों, नालियों और सामुदायिक शौचालयों की सफाई के लिए सफाईकर्मी की नियुक्ति की गई है। ग्राम सभा में लोगों ने संकल्प लिया है कि वे कूड़ेदान में ही कचरा डालेंगे और गांव को स्वच्छ रखने में योगदान देंगे। ग्राम गोर में अधोसंरचना विकास के लिए कई काम किए गए हैं। सभी गलियों में सी.सी. रोड और नालियां बनाई गई हैं। पहुंच मार्गों की मरम्मत की गई हैं। गाँव में सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं वहीं पेयजल प्रदाय के लिए नल-जल योजना के तहत 50 प्रतिशत घरों में पाइप लाईन बिछाई गई हैं। सहभागी कार्ययोजना और क्रियान्वयन के माध्यम से ग्राम पंचायत गोर को आदर्श ग्राम बनाने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि आदर्श ग्राम पंचायत गोर का संकल्प जल्द ही पूरा होगा।

● **प्रस्तुति - विभा शर्मा**

ग्राम खजूरी - जिला बड़वानी

निगरानी और क्रियान्वयन के परिणाम

गाँवों के विकास के लिए शुरू की गई सांसद आदर्श ग्राम योजना का मध्यप्रदेश में क्रियान्वयन शुरू हो गया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का समुचित विकास करना है जिसके तहत प्रत्येक सांसद को किसी एक गांव को गोद लेकर उसे ऐसे गांव में बदलना है जहां सभी सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध हैं और वो आसपास के गाँवों के लिए आदर्श बन जाए। ऐसा ही एक गांव है खजूरी, जो बड़वानी जिले की जनपद पंचायत राजपुर में है। ग्राम खजूरी को सांसद बड़वानी श्री सुभाष पटेल ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आदर्श ग्राम बनाने के लिए चयनित किया है।

ग्राम खजूरी संत सिंगाजी के जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है यहां संत सिंगाजी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। यहां दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं। 2416 की आबादी वाले ग्राम खजूरी में एक प्राथमिक, एक माध्यमिक और एक हाईस्कूल है जिनमें 206 बच्चे अध्ययनरत हैं। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एक उचित मूल्य की दुकान, तीन आंगनवाड़ी केन्द्र, एक पंचायत भवन, एक पानी की टंकी और दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं।

ग्राम खजूरी में स्कूल चलें अभियान के तहत शत-प्रतिशत बच्चों को स्कूल भेजने का लक्ष्य है। यहां माध्यमिक शाला में 100 प्रतिशत बच्चे हैं जबकि हाईस्कूल में 70 प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति है। साथ ही ग्रामीण महिलाओं को साक्षर बनाने के साथ-साथ सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में हर महीने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है साथ में निःशुल्क जांच और दवाईयां भी दी जा रही हैं। गांव में 3 आंगनवाड़ियां हैं जिनमें छह साल तक के बच्चे नियमित रूप से आंगनवाड़ी जा रहे हैं। ग्राम खजूरी में घर विहीन और कच्चे मकानों में रहने वाले गरीबों को इंदिरा आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजनान्तर्गत पक्के मकान उपलब्ध कराये गए हैं।

अब तक 193 परिवार लाभान्वित हुए हैं। गांव में सभी परिवारों को नल-जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल पाइप लाइन द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। गांव में 8 सार्वजनिक हैण्डपंप और दो शासकीय ट्यूबवेल हैं। ग्राम खजूरी में सुलभ आवागमन के लिए गांव के अंदर पंच-परमेश्वर योजना के अन्तर्गत सी.सी. रोड का निर्माण किया गया है और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव को पक्की सड़क बनाकर मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है। ग्रामीणों की सुविधा और सामुदायिक विकास के लिए गांव में ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, ग्रामीण हाट बाजार और सार्वजनिक शौचालय आदि बनाए गए हैं। मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्राम खजूरी में महिलाओं को गैर कृषि आधारित स्थायी आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है। गांव में 22 स्वसहायता समूह गठित किए जा चुके हैं। महिलाओं के साथ-साथ युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के लिए कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कृषि के साथ-साथ ग्रामीणों को पशुपालन और बागवानी के प्रति बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण यहां दिया जा रहा है। कृषि के लिए खाद और बीज वितरित किए जाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव को खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य है। अब तक 313 घरों में शौचालय बनाए जा चुके हैं। सांसद श्री सुभाष पटेल के मार्गदर्शन में ग्राम खजूरी को आदर्श ग्राम बनाने का कार्य निरंतर चल रहा है। साथ ही उनके द्वारा विकास कार्यों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में उम्मीद है कि ग्राम खजूरी के आदर्श ग्राम बनने की कल्पना जल्द ही पूरी हो जाएगी।

● **प्रस्तुति - रोहन शर्मा**

ग्राम सांगाखेड़ाकलां - जिला होशंगाबाद

विकास की दिशा में अग्रसर

होशंगाबाद जिले की जनपद पंचायत बाबई स्थित ग्राम पंचायत सांगाखेड़ाकलां जिले की सर्वाधिक आबादी वाले ग्रामों में से एक है। सांगाखेड़ाकलां नर्मदा और तवा नदी के किनारे बसा है। जनपद पंचायत बाबई से 22 किलोमीटर दूर बसे सांगाखेड़ाकलां की आबादी लगभग 6 हजार है। ग्राम पंचायत सांगाखेड़ाकलां में विकास की सभी सम्भावनाओं को देखते हुए सांसद द्वारा इसका चयन सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए किया गया। सांसद के मार्गदर्शन में सांगाखेड़ाकलां को आदर्श ग्राम बनाने के लिए जिला और जनपद पंचायत के प्रतिनिधियों, अधिकारियों तथा ग्रामीणों के साथ मिलकर कार्ययोजना बनाकर प्राथमिकताएँ तय की गईं। समग्र सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवार का सर्वे कर समग्र आई.डी. बनाई गई है और पात्र हितग्राहियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि से लाभान्वित किया गया है। यहाँ अधोसंरचना विकास के लिए काफी काम किया गया है। हर गली में पंच-परमेश्वर योजना के तहत सी.सी. रोड और पक्की नालियाँ बनाई जा रही हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को डिजिट्लाईज करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत ग्राम पंचायत सांगाखेड़ाकलां में नया ग्राम पंचायत भवन का निर्माण कराया गया है। यह ग्राम पंचायत भवन इंटरनेट कनेक्टीविटी से जुड़ा है। ग्राम पंचायत सांगाखेड़ाकलां में एक हाट बाजार भी लगता है जिसमें सांगाखेड़ाकलां और आसपास के गाँव के लोग जीविकोपार्जन का सामान बेचते हैं। पहले हाट कच्चे क्षेत्र में लगती थी जिसके कारण बारिश के मौसम में कीचड़ और गर्मियों में धूल होती थी लेकिन अब यहाँ हाट बाजार के लिए पक्के चबूतरे का निर्माण कराया गया है इससे विक्रेताओं के साथ-साथ ग्रामीणों को भी सुविधा मिल रही है। गाँव में मत्स्य विक्रय केन्द्र भी खोला गया है। ग्राम पंचायत सांगाखेड़ाकलां में अब तक 18 हितग्राहियों को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 43 लोग लाभान्वित हुए हैं। सांगाखेड़ाकलां में शुद्ध पेयजल के लिए नल-जल योजना के तहत 1247 परिवारों को पेयजल प्रदाय करने का लक्ष्य है। अब तक 349 परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। अन्य परिवारों तक पेयजल के लिए पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। ग्राम सांगाखेड़ाकलां को आदर्श ग्राम बनाने के लिए कार्ययोजना बन गई है और उस अनुरूप कार्य किया जा रहा है।

● **प्रस्तुति - कुन्दा सुकलीकर**

ग्राम करवाई - जिला सीधी

आदर्श ग्राम की ओर बढ़ते कदम

सीधी जिले में ग्राम करवाही का चयन सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आदर्श ग्राम बनाने के लिए किया गया है। इस ग्राम को सीधी सांसद श्रीमती रीति पाठक द्वारा गोद लिया गया है। सांसद ग्राम करवाही की जनसंख्या 3234 है। यहाँ आदर्श ग्राम बनने के लिए जरूरी सभी संसाधन उपलब्ध हैं। करवाही में छह प्राथमिक विद्यालय, दो माध्यमिक विद्यालय, एक हाई स्कूल, पांच आंगनवाड़ी केन्द्र और एक उपस्वास्थ्य केन्द्र है। सिंचाई के लिए एक चेकडेम, पांच लाख और 120 से ज्यादा कुएं और ट्यूबवेल है। ग्राम करवाही में सांसद के मार्गदर्शन में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सभी घरों में शौचालय निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र के माध्यम से 80 ग्रामीणों को साक्षरता अभियान से जोड़ा जा रहा है।

युवा बेरोजगारों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया जिसमें 285 युवाओं को रोजगार मिला। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन सुविधा का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को मिल रहा है। ग्राम करवाही में पेयजल के लिए एक ओव्हर हेड टंकी बनाई गई है। नल-जल योजना के लिए 600 मीटर पाइप लाइन बिछाई गई है। सांसद श्रीमती रीति पाठक समय-समय पर ग्राम का भ्रमण कर योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करती हैं। इससे गांव में सामाजिक बदलाव आया है। लोग विकास कार्य में सहभागी भूमिका निभा रहे हैं।

● **प्रस्तुति - अर्चना शर्मा**

आदर्श ग्राम आरूद से दूसरे भी होंगे प्रेरित

सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान

मध्यप्रदेश के समग्र विकास ने न केवल मध्यप्रदेश की तस्वीर बदली है अपितु देश के कई राज्यों के लिए मध्यप्रदेश रोल मॉडल बन चुका है। विकास की इस रफ्तार को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं खंडवा से सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुसार उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के ग्राम आरूद का चयन किया है। ग्राम "आरूद" जनपद पंचायत पंधाना, जिला खंडवा के अंतर्गत आता है। वे इस गांव को आदर्श ग्राम बनाने की दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। उनके द्वारा चयनित ग्राम आरूद को वे ऐसा आदर्श ग्राम बनाना चाहते हैं जो अन्य के लिए सचमुच का आदर्श हो। इसे वे ऐसा मॉडल ग्राम बनाना चाहते हैं कि उसके आस-पास के ग्राम इस गांव की तरह ही मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण हो जाएं और स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत की संकल्पना को साकार करने में हम सभी की मदद करें। श्री हरीश बाबू ने मध्यप्रदेश के खंडवा से सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान से "मध्यप्रदेश पंचायिका" के लिए लम्बी बातचीत की। बातचीत के सम्पादित अंश पाठकों के लिए हम प्रकाशित कर रहे हैं :-

प्रश्न - प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में आप क्या सोचते हैं?

उत्तर - देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद 15 अगस्त 2014 को अपने प्रथम उद्‌बोधन में लाल किले की प्राचीर से देश भर में जल्द ही सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किए जाने की बात कही थी। इस योजना के अंतर्गत सभी सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र में एक ग्राम का चयन करना है। उस चयनित ग्राम को मॉडल ग्राम के रूप में सर्वसुविधायुक्त ग्राम बनाना है ताकि इस ग्राम में विकास के साथ-साथ हर व्यक्ति सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, रोजगारोन्मुखी गतिविधियों से जुड़ सके। यही नहीं, जैविक खेती, वर्मीकल्चर, पशुपालन, स्व सहायता समूह, कुटीर उद्योग की सहायता से हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके। इन गतिविधियों से गांव में बदलाव आने लगा है। यही नहीं, भविष्य में भी इसी तरह के बदलाव दूसरों को भी प्रेरित करेंगे।

प्रश्न - इस योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी?

उत्तर - आमतौर पर धारणा यह है कि गांव सुविधाहीन होते हैं। गांवों में समस्याओं का अम्बार लगा होता है। ऐसे में एक-एक गांव, एक-एक सांसद को आदर्श गांव के रूप में विकसित करने की जवाबदारी प्रधानमंत्री जी ने दी है। जब ये गांव आदर्श गांव के रूप में विकसित होंगे तब दूसरे गांवों को इससे प्रेरणा मिलेगी और यही नहीं, सांसदों के बाद दूसरे जनप्रतिनिधि भी इस योजना से सीख लेकर गांवों की स्थिति को सुधारेंगे।

प्रश्न - वर्तमान परिस्थितियों में इस योजना द्वारा आजीविका, जीवन शैली में किस तरह का बदलाव संभव है?

उत्तर - निश्चित रूप से बदलाव आएगा। कोई भी योजना आरंभ में या तो बहुत अच्छी लगती है या बुरी लेकिन जब वह स्वरूप लेने लगती है तब उसका परिणाम दिखने लगता है। इस योजना के साथ भी यह बात लागू होती है। चूंकि यह देश में पहला कॉन्सेप्ट है इसलिए आदर्श ग्राम योजना से आजीविका और जीवन शैली में बदलाव आने में थोड़ा समय लग सकता है। अलग तरह का कॉन्सेप्ट है इसलिए इसे अपनाने और समाज का जुड़ाव दोनों में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन समय आने पर इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा।

प्रश्न - इस योजना की सीमाबद्ध आयोजना है, क्या आपको लगता है कि निर्धारित समय सीमा में चयनित गांव आदर्श ग्राम का स्वरूप ले लेगा?

उत्तर - निश्चित ही समय सीमा में आदर्श ग्राम बनने की पूर्ण संभावना है। मैंने

बेसलाइन सर्वे के आधार पर ग्राम विकास की योजना बना ली है। कार्य प्रगति पर है। जब भी मुझे लगता है मैं कार्यों की वास्तविक जानकारी भी ले लेता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि निर्धारित समय में ही मेरा आदर्श ग्राम बन कर तैयार हो जाएगा।

प्रश्न - ग्राम चयन के बाद निश्चित ही आपका गांव में जाना हुआ होगा, पहली बार ग्राम प्रवास के दौरान आपने वहां क्या पाया? आर्थिक और सामाजिक स्तर पर क्या महसूस किया?

उत्तर - मेरे चयनित ग्राम "आरूद" के चयन पश्चात ही मेरा जाना हुआ। मेरे द्वारा इस ग्राम को आदर्श ग्राम चुनने के बाद से यहां के ग्रामीणजनों में उत्साह है। ग्राम अब सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ने लगा है। खासकर विविध कृषि संबंधी आजीविकाओं को बढ़ावा देने के लिए हम किसानों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं ताकि वे अपना उत्पादन बढ़ा सकें।

प्रश्न - ग्रामवासियों की क्या प्रतिक्रिया थी, विशेषकर युवाओं की क्या प्रतिक्रिया रही?

उत्तर - ग्रामवासी और युवा अपने ग्राम के चयन से और उसमें होने वाले बदलाव से प्रसन्न हैं। ग्राम चयन के बाद जब मैं पहली बार ग्राम में पहुंचा तो मैंने उनसे ही सुना वे मुझे बार-बार धन्यवाद दे रहे थे। उन सभी का कहना था कि आपने हमारे ग्राम को आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चुनकर हम लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ दिया है।

प्रश्न - आपने जो गांव चुना है उस गांव की विशेषता या ताकत आप किसे मानते हैं?

उत्तर - मैंने जो गांव चुना है। इस गांव की ताकत जनता है। जनता ही अपने गांव के समग्र विकास की पहचान है। हमारी दृढ़ इच्छाशक्ति और ग्रामीणजनों का विश्वास भविष्य में निश्चित ही गांव की तस्वीर बदलेगा।

प्रश्न - क्या आपने गांव की विशेषता और क्षमता के आधार पर कोई योजना बनाई है?

उत्तर - चूंकि आय का मुख्य साधन कृषि ही है। इसलिए हमने इसमें ही सुधार की गुंजाइश ज्यादा रखी है। हमने बागवानी सहित विविध कृषि संबंधी आजीविकाओं को बढ़ावा देने हेतु ठोस कदम उठाये हैं। यही नहीं, आय के अन्य स्रोतों का पता लगवाकर उन्हें भी ग्रामवासियों से जोड़ा जा रहा है।

प्रश्न - आपके चयनित गांव में कुछ कमियां होंगी इन्हें दूर करने के लिये क्या योजना है?

उत्तर - देखिए मेरे द्वारा चयनित गांव में छोटी-मोटी त्रुटियां हैं। मैंने इसका भी समाधान निकाला हुआ है। इसके लिए मैं वहां के जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद करता हूं। उनके द्वारा मेरे संधान में कोई भी त्रुटि या मामला लाया जाता है मैं उसे सुधरवाकर या संबंधित अधिकारी से बातचीत कर समस्या का हल करवा देता हूं। इससे काम की रफ्तार बनी रहती है।

प्रश्न - क्या आपको लगता है इस योजना के क्रियान्वयन से आदर्श गांव के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं इसके लिये क्या आपकी अपनी कोई विशेष योजना है?

उत्तर - जी, बिल्कुल हमने सर्वप्रथम बेसलाइन सर्वे कराकर ग्राम की वास्तविक स्थिति का पता लगा लिया है। इसी के अनुरूप पेयजल सुविधाएं, चिकित्सा सेवाएं, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय आदि की कार्ययोजना बनाकर इस पर कार्य प्रारम्भ करवा दिया गया है। मैं स्वयं समय-समय पर इसकी जानकारी लेता रहता हूं कि कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है।

प्रश्न - क्या कृषि क्षेत्र में कोई नये प्रयोग या नवाचार प्रस्तावित किया गया?

उत्तर - मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हम बेहतर कृषि के लिए जैविक खेती, ड्रिप व अन्य पद्धति से कैसे फसल उत्पादन बढ़ाएं। इसी प्रयास को मूर्तरूप देने के लिए मैंने बेहतर प्रयास किए हैं। इसी का परिणाम है कि उद्यानिकी फसलों में उत्पादन क्षमता बढ़ी है। अरबी, प्याज, मिर्च, टमाटर, भिण्डी एवं अन्य सब्जियों में 30 से 35 प्रतिशत उत्पादन बढ़ा है, जिससे किसान को लाभ हो रहा है।

प्रश्न - योजना लागू होने से अब तक किये गये प्रयासों से होने वाले परिवर्तन के तहत आपके द्वारा चयनित गांव में क्या बदलाव आया?

उत्तर - आदर्श ग्राम योजना लागू होने से अब "आरूद" गांव से समाज का जुड़ाव पहले से ज्यादा हो गया है। लोग अपने आस-पास की साफ-सफाई को देखकर भूल ही जाते हैं कि ये उन्हीं का "आरूद" ग्राम है। यही नहीं, इसी के साथ बाकी के कार्यों में भी तेजी आई है। मसलन सीमेन्ट कांक्रीट रोड निर्माण, नाली निर्माण, हाट बाजार तैयार, पशु पेयजल हौज, कवर की गई नालियों सहित आंतरिक बारहमासी सड़कें और मुख्य मार्ग नेटवर्क से बारहमासी सड़क को भी मिला दिया गया है। आधी आबादी यानी कि महिलाओं व किशोरियों को उनके स्वास्थ संबंधी जानकारी हेतु भी शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन सभी कार्यों से एक नया "आरूद" ग्राम अभी से दिखने लगा है।

प्रश्न - योजना शुरू होने से परिणाम तक पहुंचने को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे?

उत्तर - आदर्श ग्राम योजना से ग्राम में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ग्रामवासियों की आवश्यकता के अनुरूप ही वहां विकास कार्य कराए जाएंगे। जैविक खेती, वर्मीकल्चर, पशुपालन, स्वसहायता समूह द्वारा आत्मनिर्भरता, कुटीर उद्योग, कृषि, ग्रामोद्योग, ऊर्जा आदि से गांव का विकास सुनिश्चित होगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत का सपना भी साकार होगा। मैं आदर्श ग्राम "आरूद" को ऐसा ग्राम बनाना चाहता हूं जिसे देख कर आस-पास के ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और अन्य लोग अपने ग्राम को भी ऐसा ग्राम बनाने हेतु प्रेरित हों।

प्रबल इच्छा शक्ति से बनेगा आदर्श ग्राम

सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते

मध्यप्रदेश में सांसद आदर्श ग्राम योजना में ग्राम आदर्श करने की पहल में अनूठा उदाहरण है। मण्डला जिले के निवास जनपद पंचायत का कापा गांव। अनुसूचित जनजाति, बैगा बाहुल्य इस गांव की विषमता और सामाजिक विसंगति की चुनौतियों को दूर कर गांव को आदर्श करने का सपना संजोया है मण्डला जिले के सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने। देश में यह अपनी तरह का अभिनव प्रयास है। नशे की लत से बीमार कापा गांव अब पूर्णतः नशामुक्त है। यहां आजीविका, जैविक कृषि और कृषि उत्पादन के क्षेत्र में नवाचार किए गये हैं। सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते द्वारा कापा गांव में किए गये प्रयासों को लेकर मध्यप्रदेश पंचायिका के लिए श्रीमती रंजना चितले ने बातचीत की - प्रस्तुत हैं इसके अंश :

प्रश्न - प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू की है। इस योजना के बारे में आप क्या सोचते हैं?

उत्तर - सांसद आदर्श ग्राम योजना का मूल उद्देश्य लोगों में जागरूकता पैदा करना है। शासकीय योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन हो, पात्र हितग्राही को उसकी पात्रता अनुसार सुविधाएँ मिलें, ग्राम विकास के कार्य में समाज की सहभागिता बढ़े। समाज और सरकार मिलकर कार्य करें। इससे गाँव का वास्तविक विकास संभव होगा।

प्रश्न - इस योजना में आपने कौन सा गाँव गोद लिया और क्यों?

उत्तर - मैंने मण्डला जिले के निवास जनपद का कापा गाँव गोद लिया है। यह एक प्रिमिटिव गाँव है। यहाँ 90 प्रतिशत जनसंख्या बैगा है। यहाँ की महिला सरपंच भी इसी जनजाति की हैं। इस गाँव को गोद लेने के पीछे मेरे मन में सांसद आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य जुड़ा था। असल में इस योजना का एक प्रमुख लक्ष्य है सामाजिक बदलाव, तो मुझे लगा काम वहाँ करना चाहिए जहाँ संभावना हो। इस गाँव की सबसे बड़ी विसंगति थी कि मैंने यहाँ के लोगों को नशे से प्रभावित पाया। दूसरा अपना हक मांगना तो दूर ये लोग बाहर निकलने से संकोच करते थे। शहर के लोगों को देखकर बिदकते थे, ये बहुत ही सहज-सरल प्रकृति के लोग हैं। उन्हें आगे लाना था। तीसरा क्योंकि यह गाँव नर्मदा किनारे बसा है तो यहाँ आजीविका की संभावना भी दिखी। मैंने गाँव गोद लेने से पहले गाँव वालों से चर्चा की और पूछा कि मैं यहाँ तभी काम करूँगा जब आप लोग यह नशा छोड़ेंगे, सबने स्वीकृति दी और मैं इस योजना के उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ा।

प्रश्न - यहां काम शुरू करने के बाद आपने लोगों में क्या बदलाव देगा।

उत्तर - मैंने पहले चौपाल में चर्चा की, फिर हमसब साथ बैठे और जब जन जागरूकता रैली की तो आश्चर्य की बात यह थी कि पुरुष बच्चों के साथ महिलाएँ अपने बच्चों को पीठ पर लेकर रैली में शामिल हुईं। इस जुड़ाव से काम आगे बढ़ा।

प्रश्न - आपने बताया कि कापा के लोग नशे से प्रभावित थे अब वहाँ क्या स्थिति है?

उत्तर - अब यह गाँव 100 प्रतिशत नशा मुक्त गाँव है?

प्रश्न - यह सब आपने कैसे किया?

उत्तर - हमने पहले लोगों से चर्चा की, सीख-समझाईश दी और फिर इस काम में बच्चों को शामिल किया। हमारे साथ इस अभियान में 100 बच्चे जुड़े। रामायण पाठ, भजन, कीर्तन के दौरान निरन्तर संवाद किया। इसका सामाजिक प्रभाव लोगों ने नशा करना छोड़ दिया। यह एक अच्छा परिणाम था। अब लोगों की कमाई का पैसा सही दिशा में जा रहा है। दूसरा सामाजिक बदलाव यह हुआ कि पहले लोग वोट डालने नहीं जाते

थे। लगातार बातचीत से लोग बाहर निकले और 100 प्रतिशत पोलिंग हुई।

प्रश्न - इसके अलावा गाँव में और क्या समस्यामूलक प्रयास हुए?

उत्तर - यहाँ बिजली की समस्या थी पहले बिजली सप्लाई डिण्डोरी से होती थी। अब हमने मण्डला से सप्लाई करवाई है। वहीं पोल लगवाये और बिजली की व्यवस्था की गयी। दूसरा हमने एक सामुदायिक भवन बनाया, रैन बसेरा का इंतजाम किया। हमने तय किया कि हमारे गाँव में पहुँचते ही वह अलग लगे, आदर्श लगे तो एक एंट्रेंस गेट बनवाया है।

प्रश्न - क्या आपने आजीविका बढ़ाने के लिए कोई नये प्रयोग किये?

उत्तर - देखिए यह पूरा क्षेत्र नर्मदा की गोद में है। यहाँ नर्मदा जी का घुमाव है। मुझे यहाँ मत्स्य पालन और कृषि कार्य में बेहतर आजीविका के अवसर दिखाई दिए। यहाँ लगभग 50 परिवार ठीमर जाति के हैं। हमने उन्हें जाल फंदा उपलब्ध करवाकर मत्स्य व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया। इससे उनकी आजीविका बढ़ी और जीवन स्तर बेहतर हुआ। आजीविका के लिए हमें स्व सहायता समूहों को प्रमोट करना होगा और आर्थिक सहयोग की परियोजना से समूहों को जोड़ना होगा तो समावेशी विकास के बेहतर परिणाम निकलेंगे।

प्रश्न - क्या आपने कृषि के क्षेत्र में कोई नवाचार प्रस्तावित किये हैं?

उत्तर - जैसा पहले मैंने बताया यह नर्मदा तट का क्षेत्र है, यहाँ पानी है और संभावनाएँ भी बहुत हैं और साधन भी हैं। मैंने सुझाव दिया कि हर व्यक्ति के खेत पर घर के पीछे हरी सब्जी जरूर लगाएँ। इससे प्राथमिक आर्थिक उपार्जन के साथ लोगों को पौष्टिक सब्जियाँ उपलब्ध रहेंगी। दूसरा मेरा सुझाव था जैविक खाद, पशुओं के गोबर से ही खाद बनायें, रसायनों को समाप्त किया जाये, वैसे भी यहाँ के लोगों की मनःस्थिति प्राकृतिक है वे प्रकृति के निकट है तो उन्हें बात जल्दी समझ में आया अन्य विभागों से समन्वय कर दूसरा प्रयोग जो हमने यहाँ शुरू किया कृषि वानिकी का खेत की मेढ़ों पर और गाँव में फलदार पौधों का रोपण करवाया है। इससे आर्थिक उपार्जन के अलावा वर्तमान पर्यावरणीय समस्या का वृक्षारोपण ही एकमात्र समाधान है। यदि फसल उत्पादन को लेकर देखें तो यह क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र था, पहले भुखमरी की भी समस्या रही है क्योंकि यहाँ की प्रमुख फसल कोदो कुटकी है। इसका पहले मूल्य प्राप्त नहीं होता था, अब जबसे डायबिटीज की समस्या बढ़ी है लोगों में भोजन में इसका प्रयोग बढ़ा है। इससे इन फसलों को बेहतर मूल्य प्राप्त होने लगा। मैंने लोगों को प्रेरित किया कि नर्मदा किनारे बसे इस गाँव के लिये यह फसल वरदान साबित हो सकती है। अब लगातार यहाँ इन फसलों का उत्पादन बढ़ा रहा है।

प्रश्न - स्वच्छता अभियान को पूरा एक वर्ष हो गया है। इस दिशा में आपके क्षेत्र में क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

उत्तर - स्वच्छता की दिशा में लोगों को जागरूक करना होगा। चूंकि दिन में लोग काम करते हैं और रात को ही चौपाल संभव है इसलिए मैं यहाँ रात को पैदल गया और लोगों से बात की, लोग जुड़े और अपनी सहमति भी दी। तो ईमानदारी से प्रयास किये जायें तो निश्चित ही लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और बदलाव जरूर आयेगा, लेकिन हमें प्रयास ईमानदारी और सहजता से करना होगा तभी सामाजिक बदलाव आयेगा।

प्रश्न - सांसद आदर्श योजना में सामाजिक बदलाव से समग्र विकास के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

उत्तर - मुझे लगता है सरकार, स्वयंसेवी संगठन और पंचायत राज व्यवस्था की पहली इकाई ग्राम पंचायत, पंच, सरपंच, ग्राम सचिव, जनपद सी.ई.ओ. सब मिलकर समन्वय के साथ कार्य करें तो यह लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। स्थानीय लोगों के साथ समन्वय करना जरूरी है। इसके लिए पंचायतों को सक्षम होना पहली आवश्यकता है जिसमें शासकीय और प्रावधानिक स्तर पर प्रयास किये गये हैं। इन्हें समाज के साथ जुड़ने की जरूरत है।

प्रश्न - विगत दिनों भोपाल में सांसद आदर्श ग्राम योजना को लेकर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया इसमें आपने क्या महसूस किया?

उत्तर - मैं इस कार्यशाला में उपस्थित था, राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला प्रयास हुआ, एक अच्छा प्रयोग है, अखिल भारतीय स्तर पर कार्य को जानने का प्रयत्न किया गया। इस कार्यशाला का निष्कर्ष और मेरा भी यही मानना है कि स्थानीय स्तर पर समन्वय होना चाहिए, इससे ही बदलाव संभव है।

प्रश्न - सांसद आदर्श ग्राम योजना को लेकर आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे?

उत्तर - हमारे गाँव को आदर्श ग्राम बनने के लिए, इस ओर बढ़ने के लिए इच्छा प्रबल शक्ति होना चाहिए। इच्छा शक्ति होगी तो काम अच्छा होगा। योजनाओं का समय पर पालन प्रतिपालन के साथ समाज की सहभागिता और समन्वय बढ़ेगा। इसके लिए लोगों को आगे आना चाहिए। वे आगे आएं, अपना हक पाएँ और मिलजुलकर गाँव की आदर्श स्थिति बनाएँ।

यह योजना अनूठी और युगांतरकारी है

सांसद श्री लक्ष्मीनारायण यादव

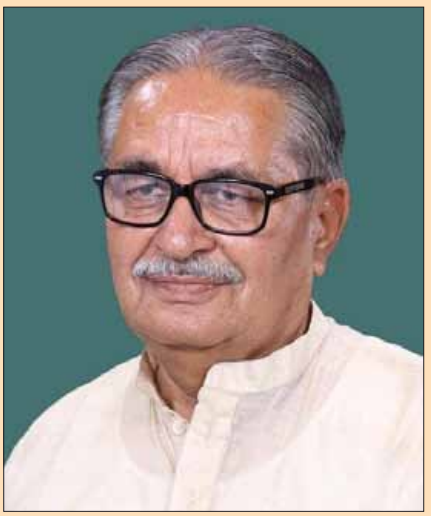

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सांसद आदर्श ग्राम योजना को साकार करने के लिए सागर से सांसद श्री लक्ष्मीनारायण यादव द्वारा विकासखण्ड जैसीनगर के बरोदा गांव को गोद लिया गया है। वे इस योजना को युगांतकारी मानते हैं। पक्का इरादा और निर्धारित लक्ष्य के साथ बरोदा के आदर्श गांव बनने को लेकर आश्वस्त हैं। ग्राम बरोदा में लोगों को प्रेरित करने का जनजागृति अभियान, रोज़गार मेलों का आयोजन, जैविक कृषि प्रशिक्षण शिविर, अधोसंरचना निर्माण की प्रगति आदि कार्यों के साथ सामाजिक बदलाव की दस्तक शुरू हो गई है। विकास की समेकित परिकल्पना को मूर्तरूप देने की संभावनाओं को लेकर सागर सांसद श्री लक्ष्मीनारायण यादव से मध्यप्रदेश पंचायिका के लिए सत्या सिंह राठौर ने बातचीत की। प्रस्तुत हैं इसके अंश -

प्रश्न - सांसद आदर्श ग्राम योजना को लेकर आप क्या सोचते हैं?

उत्तर - इस योजना के माध्यम से चयनित ग्रामों में स्वास्थ्य, साफ-सफाई, पर्यावरण और सामुदायिक सौहार्द्र को बढ़ाने की दृष्टि से यह योजना महत्वपूर्ण है ताकि समस्त ग्रामवासी गाँव के विकास में अपनी सामूहिक सहभागिता निभायें जिससे उनमें सामूहिक रूप से कार्य को सुनिश्चित करने की भावना पैदा हो।

प्रश्न - इस योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी?

उत्तर - ग्राम में पंचायतों और सरकारी काम तो बहुत होते हैं, परंतु उन कामों में जनता की सहभागिता नहीं होती जिससे उन कामों की मॉनीटरिंग और गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। इसलिए जनता की भी कामों में सहभागिता हो और कार्य की गुणवत्ता भी ठीक हो और यह तभी संभव है जब उन कार्यों के रखरखाव की सम्पूर्ण जिम्मेवारी का निर्वहन ग्रामवासी करें, जो इस योजना के पूर्व नहीं था।

प्रश्न - इस योजना द्वारा आजीविका और जीवन शैली में किस तरह के बदलाव की संभावना है।

उत्तर - अन्त्योदय के सिद्धांत के अनुसार गाँव में सबसे निर्धन और कमजोर व्यक्तियों को सक्षम बनाना ताकि वह अपना विकास कर सके। इससे उस ग्राम के सभी वर्गों के निवासियों के जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार होगा।

प्रश्न - क्या आपको लगता है कि निर्धारित समय सीमा में चयनित गाँव आदर्श ग्राम का स्वरूप ले लेगा?

उत्तर - पक्का इरादा और निर्धारित लक्ष्य की भावना को लेकर इस दिशा में काम किया जायेगा तो निश्चित ही तय सीमा में चयनित ग्राम आदर्श ग्राम का स्वरूप लेगा।

प्रश्न - जब पहली बार आप चयनित गाँव में गये तब आपने कैसा महसूस किया?

उत्तर- चयनित आदर्श ग्राम में पहली बार जाने पर पाया कि अभी भी ग्रामवासियों के आर्थिक और सामाजिक स्तर में बड़ी विसंगति है, इसलिये जरूरी है कि ग्राम के विकास और आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को ठीक करने के लिए सामूहिक सहभागिता की भावना, जनजागृति और सबको शामिल कर ग्राम का विकास किया जावे।

प्रश्न - इस योजना को लेकर ग्रामवासी विशेषकर युवजनों की क्या

प्रतिक्रिया है ?

उत्तर - ग्रामवासियों विशेषकर युवाओं में इस योजना को लेकर खुशी भी है और उत्सुकता भी है। देखिए सामान्यतः युवा पढ़ाई तो कर लेता है, परंतु उचित मार्गदर्शन और रोजगार के अवसर विशेषकर निजी क्षेत्र और स्वयं के रोजगार स्थापित करने की जानकारी न होने से वह अपने आपको असहाय सा महसूस करता था लेकिन इस योजना के पश्चात उसे रोजगारोन्मुखी मार्गदर्शन, स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु ऋण की उपलब्धता, प्रशिक्षण और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे।

प्रश्न - हर क्षेत्र या गाँव की अपनी कुछ विशेषता होती है क्या आपको अपने गाँव में कोई विशेषता देखने को मिली ?

उत्तर - चयनित सांसद आदर्श ग्राम बरोदा की विशेषता या ताकत कहें तो वह वहाँ के निवासियों का कृषक और मेहनती होना है, परंतु उन्हें चाहे वह कृषि क्षेत्र हो या अन्य कोई विकास के अवसर उनका उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण वह विकास की मुख्यधारा में पिछड़ा हुआ था।

प्रश्न - क्या आपने गाँव की इस विशेषता के आधार पर कोई योजना बनाई है ?

उत्तर - ग्राम की विशेषता और क्षमता के आधार पर कृषि के विस्तार विशेषकर कम समय और व्यय में वह कैसे विकास कर सके इसलिए परंपरागत कृषि के स्थान पर उसमें वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए उन्नत कृषि कैसे की जाए इस बाबत योजना बनाई है।

प्रश्न - आपके चयनित गाँव में कुछ कमियाँ होंगी इन्हें दूर करने के लिये क्या योजना है ?

उत्तर - ग्राम में सफाई और स्वास्थ्य के प्रति जनजागृति का अभाव, मदिरा सेवन जैसी सामजिक बुराई और कमियाँ हैं जिन्हें दूर करने के लिए ग्रामवासियों में जनजागृति पैदा कर सामूहिक प्रयासों से इन कमियों को दूर करने की योजना पर प्रयास कर रहे हैं।

प्रश्न - इस योजना से आदर्श गाँव के लक्ष्य तक पहुँचने के लिये क्या आपकी अपनी कोई विशेष योजना है ?

उत्तर - इस योजना के क्रियान्वयन से आदर्श ग्राम के लक्ष्य तक पहुँचने के संबंध में मेरी विशेष योजना है कि ग्राम के स्कूल में लायब्रेरी की स्थापना की जावे जहाँ बच्चों के अलावा ग्रामवासी भी अच्छे-अच्छे विचारकों की किताबें और समाचार पत्रों का अध्ययन कर सकें। वे अच्छे संस्कारों के साथ देश दुनिया की जानकारी से परिचित हों और एक साथ बैठकर एक दूसरे का दुख दर्द बांट सकें। जिससे उनमें सामूहिकता और परस्पर आपसी प्रेम की भावना का विकास हो।

प्रश्न - क्या कृषि क्षेत्र में कोई नया प्रयोग या नवाचार प्रस्तावित किया गया ?

उत्तर - कृषि के क्षेत्र में बदलाव के लिए मेरा प्रयास है कि ग्रामवासी जैविक तरीके से खेती करें, और व्यवसायिक फसलों के साथ-साथ पशुपालन को आत्मसात् करें क्योंकि केवल परम्परागत कृषि करने के तरीके से किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना कठिन है।

प्रश्न - आपके द्वारा किये गये प्रयासों से क्या आपको कोई बदलाव देखने को मिला ?

उत्तर - ग्रामवासियों में परस्पर सामुदायिकता की भावना का विकास हुआ है। सफाई के प्रति जागरूकता आई है, कृषि में परंपरागत तरीके के स्थान पर व्यवसायिक और जैविक खेती को अपनाने की ओर लोग आगे आ रहे हैं। बेरोजगार युवक भी प्रशिक्षण लेकर स्वयं की क्षमता के अनुसार रोजगार स्थापित करने की दिशा में आगे आये हैं।

प्रश्न - इस योजना के महत्व और परिणाम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे ?

उत्तर - सांसद आदर्श ग्राम योजना से ग्रामीण भारत के मूल स्वरूप को अक्षुण्ण रखते हुए ग्रामीणों को स्वयं अपना भाग्य बनाने का अवसर दिया है इसलिए यह योजना अनूठी और युगांतकारी है जिसमें ग्राम के सर्वांगीण विकास का दृष्टिकोण अपनाया गया है। गांव में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण आजीविका इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विकास की समेकित परिकल्पना की गई है, दूसरी ओर समाज की कुरीतियों जैसी मदिरा सेवन आदि को मिटाने, स्वच्छता के प्रति जनजागृति पैदाकर सामूहिक प्रयास करना तथा नागरिकों में अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए योगा जैसी हमारे देश की प्राचीन परंपराओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर निरोगी रहने की दिशा में यह योजना महत्वपूर्ण है।

स्मार्ट ग्राम अवधारणा है स्मार्ट सिटी की जननी

इस आलेख के प्रस्थान बिन्दु के तीन स्रोत हैं : महात्मा गांधी के जीवन की एक घटना, शीर्ष वैज्ञानिक पद्मभूषण डॉ. रघुनाथ मशेलकर की गांधीवादी अभियांत्रिकी और मध्यप्रदेश सरकार की 'स्मार्ट-ग्राम तथा स्मार्ट पंचायत' की अवधारणा जो ग्रामीण विकास में, अन्य तत्वों के अतिरिक्त आत्मविश्वास प्रेरित सामुदायिक भागीदारी को रेखांकित करती है। 'स्मार्ट ग्राम और स्मार्ट पंचायत' पर विचार करने के पहले उक्त तीनों सूत्रों पर संक्षेप में चर्चा करें।

महात्मा गांधी अपने जीवन की एक घटना बड़े मन से सुनाया करते थे। किसी पहाड़ी इलाकों में एक बालिका अपने छोटे भाई को अपनी पीठ पर लादकर ले जा रही थी। यद्यपि उसे चढ़ाई पर सांस लेने में कष्ट हो रहा था लेकिन वह बड़े मजे से अपने भाई से गप्पें लड़ाते पहाड़ चढ़ रही थी। थोड़ी देर में एक राहगीर ने उससे पूछा - 'तुम्हारी पीठ का बोझ तुम्हें परेशान कर रहा है?' लड़की ने बेबाक जवाब दिया - 'यह भार नहीं है। मेरा भाई है।' जब भार जिम्मेदारी बनता है और जब इस सरोकार से सृजनशीलता निःसृत होती है तब हमारा साक्षात्कार गांधीवादी सक्रियवाद से हो जाता है जिसका मूल रचनात्मक आधार ग्राम सुधार था। गांधी जी बहुत बड़े क्रियाशोधक यानी एक्शन रिसर्चर थे। वे भारत के ग्रामों को स्वपोषित विकास का मॉडल बनाने के लिये देशवासियों की चेतना और मानसिकता का रूपान्तरण करना चाहते थे। ग्राम सुधार के मामले में संवेदना से सृजनशीलता उनके सोच का मूलाधार था। वे कहते थे कि जब तक हमें गांव की समस्यायें अपनी नहीं लगेंगी तब तक संवेदना (यानी उनका दुख हमारा दुख है) नहीं जगेगी और यदि हममें सच्ची संवेदना का भाव जाग गया तो फिर वह सृजनशीलता स्वतः आ जायेगी जो जटिल समस्याओं को सरल और किफायती ढंग से सुलझाने की हमारी ठेठ संस्कृति की देन है।

अब स्मार्ट ग्राम के संदर्भ में डॉ. रघुनाथ मशेलकर की गांधीवादी इंजीनियरिंग को समझने का प्रयास करें। उन्होंने लिखा है कि 'मुझे अमेरिकी हार्वर्ड विश्वविद्यालय के आमंत्रण पर सिडनी (आस्ट्रेलिया) में अकादमी ऑफ टेक्नीकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में भाषण देना था। मुझे लगा कि भारत की चर्चा करूं। मैंने खुद से सवाल किया कि बीसवीं सदी को भारत की सबसे बड़ी देन क्या थी। तभी आइंसटीन का वह कथन याद आ गया जो गांधी जी को लेकर था- भावी पीढ़ियां मुश्किल से यकीन करेंगी कि हाड़ मांस का कोई ऐसा इंसान सचमुच इस धरती पर घूमता था।

तभी मुझे गांधी जी के दो कथन याद आ गये - (1) लोक कल्याण के लिये किये गये सभी आविष्कार मेरे लिये महत्वपूर्ण हैं। (2) यह धरती सबकी जरूरतें पूरी करने के लिये काफी है लेकिन लालच पूरा करने के लिये नाकाफी। उनका सीधा आशय था कि विज्ञान हमें कितना समर्थ बनाता है किन्तु यह सामर्थ्य कितनी स्वयं पोषित है। इसे अर्थशास्त्री की भाषा में अफोर्डेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी कहते हैं।

भारत के गांव थोड़े से थोड़े साधनों में ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिये जो करते हैं उसी नवाचार को मैंने गांधीवादी इंजीनियरिंग का नाम दिया और सिडनी में मेरे भाषण का विषय था 'भारत के ग्रामों का नवाचार : गांधी से गांधीवादी इंजीनियरिंग तक।'

मध्यप्रदेश सरकार के 'स्मार्ट ग्राम - स्मार्ट पंचायत' विषयक सोच को एक गांधीवादी कसौटी पर कसें - "गांव को मूल ज्ञान-विज्ञान की प्रयोगशाला बनाना है। प्रत्येक ग्रामीण में अंतर्निहित सृजनशील संभावनाओं को उनके अंजाम तक पहुंचाना है।" अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा प्रदेश के प्रत्येक ग्राम को इन्टरनेट के जरिये दुनिया से जोड़ने के लिये पंचायत भवनों में आधुनिक ई-पंचायत कक्ष बनाने की बात करती हैं। वे बताती हैं कि डिजिटल इंडिया के अनुरूप प्रदेश की सभी 23006 पंचायतों में एक लाख रुपये की लागत से कम्प्यूटर, प्रिंटर, वेबकैम, 40 इंची एल.सी.डी. टी.वी. आदि उपलब्ध हैं। वे ग्रामीण समाज में आत्म विश्वास प्रेरित स्वैच्छिक सेवा भावना से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देती हैं। शहरों जैसी बेहतर बुनियादी सुविधायें सुनिश्चित करने के लिये अधोसंरचना विकास के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक और वैयक्तिक विकास की दिशा में प्रयासों का उल्लेख करती हैं। मध्यप्रदेश शासन ने संतुलित भू उपयोग से लेकर, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन और कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने की अनेक व्यवहारिक योजनाओं को लेकर स्मार्ट ग्राम का एक विस्तृत और व्यापक खाका तैयार किया है। अभी हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार ने जो आवास गारंटी योजना बनाई है वह प्रत्येक ग्रामीण को सस्ते मकान देने का प्रकल्प है जिसके लिये भूमि, ऋण सुविधा तथा आसान किश्तों पर कर्ज अदायगी की व्यवस्था भी सरकार करेगी। इन हितग्राहीमूलक कल्याणकारी योजनाओं के कारण मध्यप्रदेश भारत का एक अग्रगण्य राज्य बन जाएगा। सन् 2022 तक सबको आवास देना एक बहुत महत्वाकांक्षी और क्रांतिकारी योजना है। इसमें यह व्यवस्था भी है कि यदि निर्धारित अवधि में आवास आवंटन नहीं हो सका तो बाजार दर पर न्यूनतम किराया देंगे।

मध्यप्रदेश ने तीन कृषि कर्मण अवार्ड जीतकर, कृषि और उद्योगों में संतुलन बैठाकर, 39961 रु. की प्रति व्यक्ति आय (स्थिर भावों पर) तथा सन् 2022 तक प्रत्येक गृहविहीन व्यक्ति को आवास मुहैया कराने की घोषणा करके रोटी, कपड़ा, मकान की बुनियादी समस्याएं तो लगभग हल कर ली हैं। स्मार्ट विलेज इन्हीं का परिणाम होगा।

नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश का विकास और सोशल सेक्टर व्यय 2012-13 से लेकर 2014-15 तक गुजरात और कर्नाटक जैसे विकसित राज्यों की तुलना में ड्योढ़े से भी अधिक है।

हमारे स्मार्ट ग्राम कैसे होने चाहिये? क्या उन्हें शहरों के कच्चे माल के रूप में अब भी देखा जाना चाहिए? क्या जब तक गांव स्मार्ट नहीं बनेंगे तब तक शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना व्यवहारतः सफल हो पायेगी? जब

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में विकास व्यय का प्रतिशत

राज्य	2012-13		2013-14		2014-15	
	विकास व्यय	समाज सेवा व्यय	विकास व्यय	समाज सेवा व्यय	विकास व्यय	समाज सेवा व्यय
गुजरात	10.1	5.8	9.7	5.6	10.2	6.4
कर्नाटक	13.1	7.3	14.0	7.9	13.7	8.3
मध्यप्रदेश	16.0	9.2	15.4	9.3	17.2	11.7

स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश विकास एवं सोशल सेक्टर व्यय के मामले में भारत के विकसित राज्यों की तुलना में शीर्ष पर है। यही वह निवेश है जो आदर्श ग्राम अवधारणा को अमली जामा पहनाता है।

तक हमारे गांव सफाई, पढ़ाई, दवाई और कमाई के मामले में नगरों का मुंह ताकेंगे तब तक क्या नगर हमारे गाँवों की समस्याओं की प्रेतछाया से बच पायेंगे? जहां तक गांवों के स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का प्रश्न है ये दोनों तत्व आज इतने संकीर्ण नहीं रह गये हैं कि किसी देश या गांव को अलग-थलग एक टापू बना दें। इसलिये आज गांव को कनेक्टिविटी चाहिये देश और दुनिया से। यह कनेक्टिविटी परिवहन, संचार और व्यापार की होगी। इस संदर्भ में गांधी जी ने लगभग वही सब कहा था जो मध्यप्रदेश की 'स्मार्ट ग्राम : स्मार्ट पंचायत' योजना में है।

गांधी जी ने अपनी ग्राम सुधार की अवधारणा में चार प्रकार की क्रांतियों का उल्लेख किया है जिसे उनके आर्थिक व्याख्याकार जे.सी. कुमारप्पा ने उद्धरित किया है। ये हैं - उत्पादक क्रांति, गुणात्मक क्रांति, लाभात्मक क्रांति और स्वपोषित क्रांति। जब हम यूरोप या अमेरिका के ग्रामों को वायुयान से देखते हैं तो नीचे पंक्तिबद्ध बसाहटें दिखाई देती हैं। महाराज भोजराज के नगर विन्यास के मानचित्र ऐसे ही हैं। लेकिन आठ सौ साल के राजनीतिक पराभव, सांस्कृतिक अराजकता और उपनिवेशिक शोषण ने एक ऐसे प्रपंच को जन्म दिया जिसने

सबसे पहले भूमि जैसे मूल संसाधन की लूटामारी की और 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' विषयक वृत्ति ने ग्रामीण जीवन को बेतरतीब कर दिया। हमारे प्राचीन ग्रंथों में 'कॉमन प्रापर्टी रिसोर्स' की जो अवधारणा प्रकारांतर से मौजूद है आज समसामयिक प्रयोजनों के लिये उसे पुनर्जीवित करने की जरूरत है। नगरों की आपाधापी और गलाकाट प्रतियोगिता की तुलना में आज भी हमारी ग्राम पंचायतों में सहभागी विकास की क्षमता है। मुनव्वर राणा ने इसी भावना को शायरी के बोल बख्शे हैं :

तुम्हारे शहर में मैयत को सब कंधा नहीं देते।
हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलजुल के छाते हैं।।

गांधी जी की उत्पादक क्रांति की अवधारणा को आधुनिक संदर्भों में लें तो यह कृषि को मौसम की विषमता से बचाकर लाभप्रद बनाने का प्रकल्प है। अनुसंधान और विकास तथा जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उत्पादक क्रांति होगी। इससे क्षेत्र की जलवायु और मृदा रसायन के अनुरूप ऐसी फसलें पैदा कर सकेंगे जिनसे प्रति हैक्टेयर अनुकूलतम उत्पादन हो, उन पर कीड़े-मकोड़ों का प्रभाव न हो, बीजों पर सूखे का असर न हो। खेती एकदम ठीक-ठाक हो। मध्यप्रदेश में औसत कृषि जोत 1.8 हैक्टेयर है। मुख्यमंत्री जी ने खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिये खाद्य प्रसंस्करण के छोटे-छोटे कारखाने लगाने की घोषणा की है। किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण देना तथा खाद बीज विषयक ऋण लेने पर प्रति 100 रु. के मामले में मात्र नब्बे रुपया लौटाने की सुविधा (शेष दस रुपया सरकार भरेगी) देना उत्पादक क्रांति को बढ़ावा देना ही तो है। गुणात्मक क्रांति की व्याख्या वर्तमान संदर्भ में

छटाई और वर्गीकरण, कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजेरेटेड यातायात (ताकि खराब होने वाली सामग्री सड़े नहीं)। वर्तमान में पचास प्रतिशत तक फल-फूल, सब्जियाँ सड़ जाती हैं। और अंतरराष्ट्रीय स्तर की विविधात्मक खेती द्वारा की जा सकती है। लाभात्मक क्रांति के लिये निम्नांकित व्यवस्था अपेक्षित है। किसानों को उद्यानिकी उत्पादन तथा प्रसंस्कृत खाद्यान्नों के निर्यात में प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री ने मई 2015 में होशंगाबाद के पोवारखेड़ा में देश के सबसे बड़े लॉजिस्टिक हब के उद्घाटन अवसर पर कहा था कि जिन किसानों के पास पांच एकड़ भूमि है उन्हें फल-फूल, औषधीय वनस्पतियों और सब्जियों की खेती भी करना चाहिये। ई-चौपालों के माध्यम से किसानों की पहुंच मौसमी जानकारी के साथ-साथ बाजारों तक हो जाती है। मध्यप्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत को इंटरनेट से जोड़ने का प्रावधान है। गांव के उत्पादक की पहुंच अंतरराज्यीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार तक होना चाहिये। स्वपोषित क्रांति के लिये जो प्रयास करने होंगे उनमें शामिल हैं वाटरशेड डेवलपमेंट और रेनवाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जल संचय ताकि कृषि कार्यों के लिये जलाभाव न हो, लघु सिंचाई योजनाएं, जलाभाव क्षेत्रों में इजरायल पैटर्न पर ड्रिप इरिगेशन, जैविक खेती, जैविक खाद यानी वर्मीकल्चर, जैविक कीटनाशक यानि बायोपेस्टीसाइड तथा जैविक विविधता और पड़त भूमियों का विकास।

स्वच्छता और सुव्यवस्था तो आदर्श ग्राम की पहली शर्त है जिसे पूरा करने पर कोई खास अतिरिक्त व्यय नहीं होता है। मध्यप्रदेश के हरदा जिले में 'आपरेशन मलयुद्ध' नामक समुदाय आधारित स्वच्छता अभियान बहुत लोकप्रिय हुआ है। शुरू में गांवों को खुले में शौच करने से मुक्ति दिलाना कुछ कठिन लगा लेकिन बाद में जनसहयोग से जो 'आपरेशन मल युद्ध' चलाया गया वह बहुत लोकप्रिय हो गया। सुबह शाम खुले में शौच की निगरानी ग्राम पंचायतों ने अपने हाथ में ले थी। कई पंच तो स्वयं को 'स्वच्छ दूत' कहने लगे। धड़ाधड़ शौचालय बनने लगे। अनेक परंपरागत कुप्रवृत्तियों से मुक्ति पाने में पैसे की कमी उतनी आड़े नहीं आती जितनी कि सोच की कमी और परिवर्तन की सत्प्रेरणा।

प्रत्येक गांव में कृषि उत्पादन और पशुधन आधारित अनेक उद्योग लगने की अपार संभावनायें हैं। एक प्रतिभाशाली इंजीनियर व्यवसायी अरुण फिरोदिया ने स्वदेशी साधनों से कायनेटिक इंजीनियरिंग करके मोपेड उत्पादन किया है। उन्होंने स्थानीय संसाधनों के बल पर गांवों की आय कई गुनी करके प्रत्येक ग्राम को आदर्श बनाने के अनेक नुस्खे सुझाये हैं ताकि 'गांवों में लखपतियों के निवास का गांधी जी का सपना' सच हो सके। ग्रामवासी अपनी मात्र एक हैक्टेयर भूमि में करंज, नीम, जेट्रोफा आदि वृक्षजातियों के एक हजार पौधे लगाकर उनकी अनुवांशिक इंजीनियरिंग से प्रति वृक्ष दस किलो बीज उत्पादन ले सकते हैं जिससे बायोडीजल बनाकर उत्पादक की आय बढ़ने के अलावा ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा योगदान हो सकता है जो ग्राम स्तर पर होगा। गांव में प्रत्येक व्यक्ति के पास पशुधन होता है। प्रत्येक पशु साथ में औसतन 0.5 टन खाद अपने गोबर से देता है। इसका मूल्य 225.1 लीटर गेसोलीन के बराबर होता है। यह तो प्रति पशु हजारों रुपये की अतिरिक्त आय होगी। गैस उत्पादन के बाद जो बचता है उससे पचास प्रतिशत जैविक खाद प्राप्त होती है जो अपने नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस तत्वों के कारण आय का एक और स्रोत है जो अभी तक अल्पज्ञात या उपेक्षित ही है। खेतों में सूखे पौधे, पत्ती, भूसा, चारा आदि के रूप में प्रति हैक्टेयर लगभग तीन टन कृषि अवशेष उपलब्ध रहते हैं। इन जैविक अवशिष्टों से केंचुआ खाद बनती है, आजकल जैविक कृषि के लिये जैविक खाद बहुमूल्य मानी जाती है। इसी प्रकार गौ-मूत्र में नीम की पत्ती मिलाकर जैविक कीटनाशक भी बनता है। ये सारे उपक्रम स्थानीय संसाधनों पर आधारित हैं जो आदर्श ग्राम की आर्थिकी को कई गुना उन्नत कर सकते हैं। इन सभी उपक्रमों को आगे बढ़ाने में ऊर्जा क्षेत्र की शासकीय अशासकीय कम्पनियों को सहयोग करना चाहिये। गांव की आय बढ़ेगी तो खर्च बढ़ेगा। एक का खर्च दूसरे की आमदनी होता है। इसके परिणामस्वरूप ग्राम सेवाएँ देने वाले आगे आयेंगे। रोजगार बढ़ेगा। ग्राम सेवा क्षेत्र की आय का अनुमान कृषि या कृषि आधारित उद्योग की आय के आसपास बैठेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उछाल आयेगा।

मध्यप्रदेश में आदर्श ग्राम स्थापना के लिये एक अनुकूल वातावरण अपेक्षित मूलाधार संरचना के रूप में पहले से मौजूद है। आदर्श ग्राम के लिये जरूरी तीन शर्तें कमाई, सफाई और पढ़ाई मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विकास और सोशल सेक्टर मद में किये जा रहे व्यय से बहुत कुछ पूरी हो जाती हैं। नोट करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री जी की आदर्श ग्राम योजना विषयक सोच शिवराज सरकार के पास पहले से है इसलिये यहां इस योजना की नींव अखिल भारतीय स्तर की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक मजबूत है।

● **घनश्याम सक्सेना**

सिंहस्थ के लिये

तीन सौ सत्तावन ग्राम स्मार्ट ग्राम बनेंगे

"सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अधीन ये ग्राम स्वयं ऐसा विकास करेंगे, जिससे इन्हें स्मार्ट विलेज के रूप में पहचान मिलेगी। प्रमुख रूप से अधोसंरचना का विकास, स्कूल भवन, आँगनवाड़ी, पंचायत भवन, यात्री प्रतीक्षालय, उप स्वास्थ्य केन्द्र, शान्तिधाम, खेल मैदान, गोडाऊन का निर्माण, पेयजल, नल-जल योजना, ग्राम की आन्तरिक सड़कों का सीसी रोड निर्माण, ठोस-तरल अपशिष्ट प्रबंधन, वृक्षारोपण, ग्राम पंचायत में हाट बाजार का निर्माण, उचित मूल्य की दुकान शामिल है। गाँवों के सभी घर पक्के बनाने के लिये मुख्यमंत्री आवास मिशन योजना का क्रियान्वयन, इंटरनेट एवं संचार व्यवस्था को पुख्ता करते हुए यथासंभव वाईफाई किया जाना, सभी ग्राम में सुन्दर साईन बोर्ड एवं माइल स्टोन लगाना आदि शामिल हैं। सभी ग्रामों के सभी आवास की एक रंग से पुताई होगी और स्ट्रीट लाइट की पर्याप्त व्यवस्था की जावेगी।"

सिंहस्थ-2016 के मद्देनजर उज्जैन क्षेत्र के 357 ग्रामों को स्मार्ट ग्राम बनाया जायेगा। सिंहस्थ के दौरान तीर्थ-यात्री इन ग्रामों से गुजरकर अच्छा अनुभव करेंगे। 30 सितम्बर को उज्जैन में स्मार्ट ग्राम स्मार्ट पंचायत पर आयोजित कार्यशाला में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने यह जानकारी दी।

मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि स्व-करारोपण योजना में पंचायतों के 20 लाख का स्व-करारोपण करने पर शासन की ओर से उन्हें 40 लाख रुपये की राशि दी जायेगी। चयनित ग्रामों के निवासियों को सुनिश्चित करना होगा कि ग्राम में मद्य-निषेध हो, सामाजिक कुरीतियों को त्यागा जाये तथा कोई भी व्यक्ति खुले में शौच और गाँवों में झगड़े-विवाद नहीं करे।

अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने बताया कि स्मार्ट गाँव सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं का अतिथि देवो भवः की अवधारणा के अनुरूप स्वागत करेंगे। इससे देश-विदेश में अच्छी छवि बनेगी। सभी ग्रामों में स्थायी मूलभूत कार्य करवाये जायेंगे। ग्रामों में सभी मकान पक्के होंगे। सभी घरों में शौचालय, नल कनेक्शन तथा सड़क आदि की पूरी व्यवस्था होगी।

सभी ग्रामों में स्कूल, आँगनवाड़ी, पंचायत भवन आदि होंगे। ग्रामों को वाई-फाई करने का भी प्रयास किया जा रहा है। गाँव के पाँच किलो मीटर के रेडियस में पोस्ट आफिस और बैंक सुविधा होगी। इन सभी ग्रामों में ठोस-तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत जैविक और अजैविक कचरा अलग-अलग किया जायेगा। प्लास्टिक का कचरा 18 रुपये प्रति किलो में खरीदा जायेगा, जिसे सड़क निर्माण में इस्तेमाल किया जायेगा।

कार्यशाला में सांसद डॉ. चिन्तामणि मालवीय, विधायक डॉ. मोहन यादव, श्री दिलीप सिंह शेखावत, श्री अनिल फिरोजिया, श्री सतीश मालवीय, श्री बहादुरसिंह चौहान और जिला पंचायत अध्यक्ष श्री महेश परमार मौजूद थे।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उज्जैन तथा इन्दौर संभाग के कुल 357 ग्रामों का चयन स्मार्ट विलेज-स्मार्ट पंचायत योजना में किया गया है। इसमें उज्जैन जिले के 67, मंदसौर के 67, नीमच के 32, रतलाम के 73, देवास के 37, शाजापुर के 13, आगर-मालवा के 16, धार के 19 और झाबुआ के 33 ग्राम शामिल हैं।

मनरेगा अभिसरण से मध्यप्रदेश में

बदली गाँवों की तस्वीर

महाराष्ट्र विधान सभा की रोजगार गारंटी योजना समिति ने अपने अध्ययन भ्रमण के दौरान 7 अक्टूबर को मध्यप्रदेश विधान सभा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव से महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में हासिल सफलताओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा भी मौजूद थे। विधान सभा में हुई बैठक में महाराष्ट्र विधान सभा की रोजगार गारंटी योजना समिति के अध्यक्ष विधायक श्री जय कुमार रावल के साथ अध्ययन भ्रमण पर आये विधान सभा तथा विधान परिषद के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने विशेष कर मध्यप्रदेश में मनरेगा अभिसरण से संचालित पंच-परमेश्वर योजना, सुदूर ग्राम संपर्क तथा खेत सड़क योजना और कपिलधारा कुओं से सिंचाई सुविधाओं और कृषि उत्पादन में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने मनरेगा अभिसरण से मध्यप्रदेश के सभी 52 हजार गाँवों में स्वच्छता और पर्यावरण सुधार के लिये सीमेंट-क्रांक्रीट से बनाये गये 12000 किलोमीटर पक्के आंतरिक मार्ग और नालियों के निर्माण कार्यों की सराहना की।

विधायक श्री जय कुमार रावल के नेतृत्व में महाराष्ट्र से आये इस अध्ययन दल में विधायक श्री संजय भेगाड़े, श्री सुरेश हालवनकर, श्री सुभाष देशमुख, श्री संदीप राव भूमरे, श्री नारायण पाटिल, श्री संजय रायमुलकर, अधिवक्ता श्री राहुल कुल, श्री शरद दादा सोनावने, श्री राहुल बोदरे, श्री बावन राव शिंदे, डॉ. सतीश पाटिल, विधान परिषद सदस्य श्रीमती शोभा ताई फड़नवीस, श्री हरसिंह राठौड़ और श्री आनंदराव पाटिल शामिल थे।

डॉ. सीतासरन शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश प्रगतिशील राज्य है। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा की रोजगार गारंटी योजना समिति की कार्य-प्रणाली के बारे में समिति अध्यक्ष श्री रावल से चर्चा की। डॉ. शर्मा ने कहा कि महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश को मौजूदा समय में अवर्षा से उत्पन्न परिस्थितियों और चुनौतियों से निपटना होगा। उन्होंने जरूरतमंद किसानों और ग्रामीण श्रमिकों को पर्याप्त संख्या में रोजगार मुहैया करवाने के मकसद से मनरेगा में सुनियोजित प्रयासों की जरूरत बताई।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने बताया कि मनरेगा अभिसरण से हुए कार्यों के जरिये मध्यप्रदेश के गाँव की तस्वीर बदलने में महती सफलता मिली है। मनरेगा में वर्ष 2006 से अब तक कुल 23 लाख 70 हजार निर्माण कार्य मंजूर हुए जिनमें से 20 लाख 6 हजार काम पूरे हो चुके हैं। इनसे 17878 लाख मानव दिवस का रोजगार मनरेगा श्रमिकों को मुहैया करवाया गया। शुरुआत से अब तक योजना पर 29 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। वर्तमान में करीब 49 लाख सक्रिय जॉबकार्डधारी श्रमिक परिवारों को विभिन्न उप योजनाओं के जरिये रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है। इलेक्ट्रानिक फंड मैनेजमेन्ट सिस्टम के जरिये मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी का त्वरित भुगतान किया जा रहा है। ग्राम पंचायत भवन में अल्ट्रा स्माल बैंक की सुविधा होने से मनरेगा श्रमिकों को पाँच किलोमीटर के दायरे मे ही बैंक सुविधा का लाभ मिल रहा है। श्री भार्गव ने बताया कि मनरेगा में स्थाई परिसंपत्तियों के निर्माण में मध्यप्रदेश देश में अव्वल है। यहां 70 फीसदी स्थाई परिसंपत्तियां निर्मित हुई। यही वजह है कि भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को पिछले तीन वर्षों से निरंतर कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। श्री भार्गव ने जानकारी दी कि इस सफलता में मनरेगा में मध्यप्रदेश में तीन लाख से अधिक संख्या में बने कपिलधारा कुओं से छोटे किसानों के खेतों में उपलब्ध सिंचाई सुविधा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इन कुओं से तीन लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित हुई है। उन्होंने मनरेगा में नंदन फलोद्यान, पशु शेड निर्माण, रेशम उत्पादन जैसी उप योजनाओं की सफलता को भी बताया।

पंचायत राज देश की

लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार

मध्यप्रदेश सरकार पंचायत राज व्यवस्था के तहत गाँव के विकास और ग्रामीणों के कल्याण के लिये बेहतर प्रयास कर रही है। ग्राम पंचायत स्तर की सभी निर्माण योजनाओं को मिलाकर समेकित योजना पंच परमेश्वर के तहत प्रदेश के 52 हजार गाँवों की लगभग 90 प्रतिशत आन्तरिक सड़कों को पक्का और सीमेंटीकृत दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 500 से अधिक आबादी के गाँवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है वहीं 500 से कम आबादी के गाँवों को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बारहमासी सड़कों से जोड़ा गया है। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क की लगभग 19 हजार किलोमीटर लम्बाई की इन सड़कों का आने वाले समय में सुदृढ़ीकरण भी किया जायेगा।

पंचायत राज व्यवस्था के बेहतर क्रियान्वयन और मार्गदर्शन के उद्देश्य से जनपद पंचायत मैहर में तीन अक्टूबर को पंच-सरपंच सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में पंचायतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय नि:शक्तजन कल्याण एवं सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार है। गाँव और क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने में पंचायत राज प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होने पंचायत प्रतिनिधियों से सरकार की योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति तक पहुँचाकर व्यवस्था को आदर्श स्वरूप देने का आव्हान किया।

मध्यप्रदेश सरकार पंचायत राज व्यवस्था के तहत गाँव के विकास और ग्रामीणों के कल्याण के लिये बेहतर प्रयास कर रही है। ग्राम पंचायत स्तर की सभी निर्माण योजनाओं को मिलाकर समेकित योजना पंच परमेश्वर के तहत प्रदेश के 52 हजार गाँवों की लगभग 90 प्रतिशत आन्तरिक सड़कों को पक्का और सीमेंटीकृत कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 500 से अधिक आबादी के गाँवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है वहीं 500 से कम आबादी के गाँवों को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बारहमासी सड़कों से जोड़ा गया है। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क की लगभग 19 हजार किलोमीटर लम्बाई की इन सड़कों का आने वाले समय में सुदृढ़ीकरण भी किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि अपने गाँवों में शराबबंदी करवायें तथा खुले

में शौच से गाँवों को मुक्त कराये। स्मार्ट गाँव सही मायने में तभी स्मार्ट बनेंगे जब इनमें अच्छी आत्मा डालने का प्रयास किया जायेगा।

पूर्व विधायक श्री नारायण त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों के संबंध में उन्होंने कहा कि सभी मांगें और अपेक्षायें एक-एक कर पूरी की जायेंगी और इनमें राशि की कोई कमी नहीं आने दी जायेगी। उन्होंने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों, सचिव एवं रोजगार सहायकों को पूरा सम्मान और मानदेय सरकार द्वारा दिया जा रहा है। सरपंचों को बैठक भत्ते के अनुरूप पंचों के लिये भी मानदेय का प्रावधान किया जायेगा। अनावृष्टि और सूखे से प्रभावित फसलों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सर्वे रिपोर्ट मंगाई गई है। फसलों के प्रभावित होने की स्थिति में सभी ग्रामों में रोजगारपरक अधिकाधिक कार्य खोले जायेंगे। इसके अलावा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बी.पी.एल. की पात्रता में जमीन का बंधन भी समाप्त करने पर विचार किया जायेगा।

सांसद श्री गणेश सिंह ने कहा कि पंचायत राज देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में गाँधी जी के सपनों का गाँव बनाने और गाँव की तस्वीर बदलने के लिये सबसे पहली और अंतिम कड़ी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रशासन ने गाँव के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। राज्य सरकार काम करने में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने का कार्य कर रही है। अपने अधिकारों के साथ कर्तव्य भी हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुँचाने के कार्य में भरपूर सहयोग करना चाहिये। जिला पंचायत सदस्य उमेश प्रताप सिंह ने कहा कि जनपद पंचायत मैहर की 116 पंचायतों के इस सम्मेलन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री को आश्वस्त करना चाहते हैं कि पंचायत राज के तहत सौंपे गये दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम के प्रारंभ में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री भार्गव ने दीप प्रज्ज्वलन कर जनपद स्तरीय पंच सरपंच सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री सुधा सिंह, महापौर सुश्री ममता पाण्डेय, पूर्व विधायक श्री नारायण त्रिपाठी, जिला पंचायत सदस्य श्री उमेश प्रताप सिंह, श्री शांति भूषण पाण्डेय, श्री संजय आरख, श्री भीम सोनी, सुश्री राजेश्वरी पटेल सहित त्रि-स्तरीय पंचायत राज के प्रतिनिधि श्री रमेश पाण्डेय बम-बम महाराज, श्री कमलाकर चतुर्वेदी, श्री अशोक द्विवेदी, श्री ओमपुरी गोस्वामी, श्री सत्यभान सिंह, श्री अशोक चौबे, श्री रामकृपाल पटेल, सी.ई.ओ. जिला पंचायत श्री अमर बहादुर सिंह भी उपस्थित थे।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने दीं मैहर क्षेत्र को विभिन्न सौगातें

प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने तीन अक्टूबर को मैहर में आयोजित पंच सरपंच सम्मेलन में क्षेत्र के ग्रामीण विकास सुविधाओं के लिये अनेक सौगातें दीं। इस मौके पर उन्होंने पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी द्वारा सौंपे गये मांग पत्र के अनुक्रम में मैहर में जनपद भवन सभागार एवं आवासीय परिसर निर्माण के लिये एक करोड़ रुपये स्वीकृत किये। पंचायत राज का रीजनल ट्रेनिंग सेन्टर मैहर में खोले जाने की मांग पर केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का आश्वासन दिया। आवास के लिये राशि की व्यवस्था की जायेगी तथा मैहर जनपद की 21 ग्राम पंचायतों में जीर्ण-शीर्ण अवस्था वाले पंचायत भवनों के स्थान पर 15-15 लाख रुपये के पंचायत भवन बनाने की स्वीकृति दी।

बदनावर विकासखंड की दो ग्राम पंचायतें

खंडीगारा व बखतपुरा खुले में शौच मुक्त घोषित

धार जिले में बदनावर विकासखंड की दो ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त घोषित हो गई हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर खंडीगारा व बखतपुरा में भव्य कार्यक्रम आयोजित कर संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा सांसद श्रीमती सावित्री ठाकुर, विधायक श्री भंवरसिंह शेखावत, कलेक्टर श्रीमती जयश्री कियावत, जनपद अध्यक्ष बदनावर श्री प्रकाश सावंत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री श्रीकांत बनोठ की विशेष उपस्थिति में मंच से ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त होने की घोषणा की गई। इस अवसर पर अतिथियों की उपस्थिति में गांव की गलियों में गौरव यात्रा भी निकाली गई। अतिथियों ने दोनों ग्राम पंचायतों के सरपंचों को 25-25 हजार रुपये के चेक खुले में शौच मुक्त होने की उपलब्धि के लिए प्रदान किये।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद श्रीमती सावित्री ठाकुर ने कहा कि खंडीगारा व बखतपुरा के लोगों ने अपने पूरे गांव को खुले से शौच मुक्त कर यह दिखा दिया है कि महात्मा गांधी ने वर्षों पहले स्वच्छ भारत का जो सपना देखा था और एक वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज ही के दिन स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, वह सपना जरूर पूरा होगा। उन्होंने कहा कि इन गांवों के लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने दूसरे गांवों के लिए मिसाल पेश की है। उन्होंने पंचायतों की इस उपलब्धि को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करने के लिए कहा ताकि दूसरे लोग इन गांवों से सीख ले सकें। उन्होंने प्रधानमंत्री जी की बीमा योजनाओं व अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने का भी आग्रह किया।

विधायक श्री भंवरसिंह शेखावत ने कहा कि गांधी जी के स्वच्छ और सुंदर भारत के सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। खुले में शौच के लिए जाना हम सब के लिए शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि खंडीगारा व बखतपुरा से खुले में शौच से मुक्त की जो अभिनव शुरुआत हुई है उसके लिए ग्राम बधाई के पात्र हैं।

उन्होंने महिलाओं से आव्हान किया कि वे यदि ठान लें तो पुरुष घरों में शौचालय अवश्य बनवाएंगे। उन्होंने कहा कि निगरानी समितियों व बाल सेना ने खुले में शौच से मुक्त करने में सराहनीय भूमिका निभाई है। कानवन पंचायत को भी चुनौती के रूप में लेने तथा खुले में शौच से मुक्त करने का आव्हान किया। विधायक श्री शेखावत ने बेटियों को पढ़ाने तथा उनकी शादी 18 वर्ष से पहले न करने की भी ग्रामवासियों को सीख दी। उन्होंने बताया कि खंडीगारा से कानवन के लिए सड़क की स्वीकृति हो गई है। शीघ्र ही

मध्यप्रदेश में मनरेगा के लिए संपर्क सुविधा

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 'मनरेगा' से संबंधित संपर्क के लिये रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल में मोबाइल कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। मनरेगा से संबंधित किसी तरह की जानकारी के लिये नागरिक, मोबाइल नंबर 9111243243 पर कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। शासकीय कार्यालय दिवसों में प्रातः 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे के बीच इस मोबाइल नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।

प्रदेश में इस योजना में हर जरूरतमंद ग्रामीण परिवार को रोजगार मुहैया करवाने के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायक, जाब-कार्डधारियों के घर-घर जाकर "प्रिय मित्र" पत्र दे रहे हैं। इसमें ग्राम पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत चल रहे काम की जानकारी दी जा रही है।

ग्राम पंचायत द्वारा दिये जा रहे "प्रिय मित्र" पत्र में बताया जा रहा है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी से हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन का (वनाधिकार पट्टाधारियों को साल में 150 दिन का) काम मिलता है। तयशुदा काम करने पर एक मजदूर को एक दिन की मजदूरी 159 रुपये प्राप्त होगी। यदि परिवार के वयस्क सदस्य एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का काम कर लेते हैं तो उन्हें 15 हजार 900 रुपये (वनाधिकार पट्टाधारियों को साल में 150 दिन का काम करने पर 23 हजार 850 रुपये) तक मिल सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि मनरेगा अंतर्गत 181.57 करोड़ मानव दिवस सृजित हो चुके हैं। इनमें 32.92 करोड़ मानव दिवस अनुसूचित जाति, 74.55 करोड़ मानव दिवस अनुसूचित जनजाति के हैं। वहीं कुल मानव दिवस में से 78.39 करोड़ मानव दिवस महिलाओं द्वारा सृजित किये गये हैं।

निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

कलेक्टर श्रीमती जयश्री कियावत ने कहा कि खंडीगारा व बखतपुरा से खुले में शौच से मुक्त की जो पहल हुई है वह एक मिसाल है तथा दूसरी पंचायतों के लिए अनुकरणीय है। इससे समीपवर्ती कानवन व दूसरी पंचायतों के लोग भी प्रेरित हुए हैं। खुले में शौच की परेशानियों को महिलाएं ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकती हैं। लोगों ने शौचालय के साथ बाथरूम भी बनाए हैं यह और भी ज्यादा प्रशंसनीय है। उन्होंने आबादी भूमि घोषित करने का प्रस्ताव भिजवाने के लिए कहा ताकि आबादी के लिए पट्टे वितरित हो सकें। उन्होंने यह भी कहा कि जिला प्रशासन गांव को स्मार्ट विलेज बनाने का प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांव के दोनों ओर पक्की नालियों का निर्माण गांव की सीमा में कराए जाने के निर्देश प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों को दिये गये हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री श्रीकांत बनोठ ने कहा कि बदनावर विकासखंड में 83 ग्राम पंचायतें निर्मल घोषित हो चुकी हैं किन्तु खुले में शौच से मुक्त नहीं हो पाई हैं यही कारण है कि हम स्वच्छ भारत मिशन में केवल शौचालय निर्माण की ही बात नहीं करते हैं बल्कि अब शौचालयों के उपयोग की बात ज्यादा की जाती है। कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री प्रकाश सावंत ने भी अपने विचार रखे।

पंचायत समन्वयक अधिकारी श्री अखलाक ने ग्राम पंचायत खंडीगारा को खुले में शौच मुक्त करने के लिए किये गये प्रयासों व अपनाई गई रणनीति के बारे में विस्तार से अवगत कराया। सरपंच श्रीमती लीलाबाई ने खंडीगारा को खुले में शौच मुक्त करने की विधिवत घोषणा की।

कार्यक्रम में ग्रामीणों की मांग तथा कलेक्टर श्रीमती कियावत के अनुरोध पर ग्राम की नलजल योजना से घरों में कनेक्शन हेतु व्यय की राशि, मुक्तिधाम, बोरवेल, पानी की टंकी तथा तार फेंसिंग के लिए सांसद श्रीमती ठाकुर व विधायक श्री शेखावत ने राशि दिये जाने की सहमति दी।

कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा स्वच्छता तथा बेटियों को पढ़ाने का संकल्प भी दिलाया गया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती अरुणा बोडा ने किया तथा आभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बदनावर श्री मनोज शर्मा ने माना। इस अवसर पर एसडीएम श्रीमती एकता जायसवाल, सहायक आयुक्त आदिवासी श्री ब्रजेश पांडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राजेश शाक्य के अलावा मनोज सोमानी, सरपंच श्रीमती लीलाबाई, उपसरपंच श्री दिलीप सिंह राठौर तथा बड़ी संख्या में ग्रामवासी व स्कूली बच्चे उपस्थित थे।

लॉसएंजिलिस स्पेशल ओलिम्पिक में
बच्चों ने जीते पदक

निःशक्त किशोरों तथा युवाओं की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष स्पेशल ओलिम्पिक वर्ल्ड समर गेम्स का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी यह आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉसएंजिलिस में 25 जुलाई से 2 अगस्त तक सम्पन्न हुआ। इस चौदहवें स्पेशल ओलिम्पिक गेम्स में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया और आधिकारिक रूप से एक स्वर्ण, पांच रजत तथा एक कांस्य पदक सहित सात पदक जीते। मध्यप्रदेश की फुटबाल टीम ने इस वर्ल्ड समर गेम में पाँचवां तथा यूनीफाईड फुटबाल टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

स्पेशल ओलिम्पिक प्रतियोगिता के संयोजक व खेल निदेशक एहतेशामद्दीन बताते हैं कि इस बार प्रदेश से सात खिलाड़ी साईक्लिंग, एथेलेटिक्स और सेवन-ए-साईड फुटबाल प्रतियोगिता में भाग लेने को भेजे गए थे। इनमें भोपाल के विजय, श्रुति और डॉली, जबलपुर के निशाद खान और संदीप दुबे, उज्जैन के अभिषेक वर्मा और गुना के रवि कुमार सुरारिया ने भाग लिया था। एक सौ सतहत्तर देशों के सात हजार खिलाड़ियों और तीन हजार खेल अधिकारियों तथा प्रशिक्षकों ने हिस्सा लिया।

इस साल इस स्पेशल ओलिम्पिक समर गेम्स का शुभारम्भ अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने किया। पहला स्पेशल (चाईल्ड) ओलिम्पिक समर गेम 20 जुलाई 1968 को शिकागो में हुआ था। हर चार साल में आयोजित होने वाले इन खेलों में पहली बार एथेन्स में 2011 में मध्यप्रदेश के आठ खिलाड़ियों ने दो स्वर्ण, एक रजत और नौ कांस्य पदक अर्थात् ग्यारह पदक जीते थे।

स्पेशल ओलिम्पिक प्रतियोगिता के संयोजक व खेल निदेशक एहतेशामद्दीन बताते हैं कि इस बार प्रदेश से सात खिलाड़ी साईक्लिंग, एथेलेटिक्स और सेवन-ए-साईड फुटबाल प्रतियोगिता में भाग लेने को भेजे गए थे। इनमें भोपाल के विजय, श्रुति और डॉली, जबलपुर के निशाद खान और संदीप दुबे, उज्जैन के अभिषेक वर्मा और गुना के रवि कुमार सुरारिया ने भाग लिया था। एक सौ सतहत्तर देशों के सात हजार खिलाड़ियों और तीन हजार खेल अधिकारियों तथा प्रशिक्षकों ने हिस्सा लिया। इस साल इस स्पेशल ओलिम्पिक समर गेम्स का शुभारम्भ अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने किया।

लॉसएंजिलिस में सम्पन्न इन खेलों में एस.ओ.एस. बालग्राम भोपाल की पन्द्रह वर्षीय श्रुति ने यूनीफाईड वॉलीबॉल में भारतीय टीम को स्वर्ण पदक दिलाया। नौ साल पहले अपने माता-पिता के निधन के बाद श्रुति अपनी शारीरिक और मानसिक कमजोरी के कारण कुछ खास नहीं कर पाती थी, मगर अपनी प्रतिभा को निखारने का जब उसे एस.ओ.एस. ग्राम में अवसर मिला तो उसने दृढ़ इरादे तथा प्रबल इच्छाशक्ति के कारण जल्द ही अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। श्रुति की खेलों में रुचि को देखते हुए एस.ओ.एस. बालग्राम भोपाल में मदर और सहयोग स्टॉफ ने उसे साईकिल चलाना सिखाया। वह बास्केटबॉल और वॉलीबॉल की प्रतिभाशाली खिलाड़ी होने के साथ अच्छी तैराक और धावक भी हैं। श्रुति लॉसएंजिलिस में भी साईक्लिंग प्रतियोगिता में भाग लेने गई थी मगर किसी कारण जब वो इस प्रतियोगिता में भाग नहीं पाई तो उसने यूनीफाइड वॉलीबॉल की प्रतियोगिता में भाग लिया और भारतीय टीम को स्वर्ण पदक दिलाया। श्रुति की कोच और ट्रेनर प्रतिभा श्रीवास्तव पिछले दो सालों से उसे भोपाल में प्रशिक्षण दे रही है। श्रुति मूक एवं बधिर भी है।

इन खेलों में एथलेटिक्स मुकाबलों में जबलपुर की निशाद खान ने रजत पदक जीता। जबलपुर की विकलांग सेवा भारती संस्थान की निशाद खान ने आठ सौ मीटर दौड़ की प्रतियोगिता में यह पदक जीता। एक गरीब टेलर मोहम्मद शमीम खान की बेटी निशाद के कोच पार्थ रैकवार बताते हैं कि पिछले साल निशाद ने राष्ट्रीय खेलों में सौ

और दो सौ मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था।

इस बार इस स्पेशल ओलिम्पिक समर गेम्स में भोपाल के एस.ओ.एस. ग्राम की डॉली एकमात्र ऐसी खिलाड़ी रहीं, जिन्होंने लॉसएंजिलिस में साईक्लिंग के दो अलग-अलग इवेन्ट में रजत एवं कांस्य पदक जीता। छः वर्ष की छोटी उम्र में अपने माता-पिता को खोने के बाद नौ वर्ष पहले 'स्पेशल चाइल्ड' डॉली खजूरीकलां स्थित एस.ओ.एस. बालग्राम आई थी। वर्ष 2013 में जिला स्तरीय स्पेशल ओलिम्पिक के साईक्लिंग इवेन्ट में स्वर्ण पदक जीतकर सभी का ध्यान खींचा था। वर्ष 2014 में स्पेशल ओलिम्पिक की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर वह भारतीय कैम्प का हिस्सा बन गई थी। डॉली की कोच व ट्रेनर प्रतिभा श्रीवास्तव ने मार्गदर्शन में डॉली प्रतिदिन पांच घण्टे साईक्लिंग का अभ्यास करती थी।

एस.ओ.एस. बालग्राम के डायरेक्टर बताते हैं कि पदक जीतने का श्रेय उसकी मेहनत और लगन को जाता है। हमने तो सिर्फ रास्ता दिखाया है, मंजिल खुद डॉली ने हासिल की है।

गुना में सी.आई.डी. में पदस्थ राजेन्द्र सुरारिया के पुत्र रवि सुरारिया ने भी लॉसएंजिलिस खेलों में साईक्लिंग की दो प्रतियोगिताओं में दो रजत पदक जीतकर मध्यप्रदेश का मान बढ़ाया। बचपन में सिर में लगी चोट के कारण रवि की याददाश्त कम हुई और धीरे-धीरे वो सामान्य स्कूलों में अपनी कक्षा के सहपाठियों से पिछड़ता गया। अंततः उसे गुना के स्पेशल स्कूल में भर्ती करवाया गया। यहाँ उसके खेल शिक्षक इकराम खान ने उसके भीतर छिपी प्रतिभा को पहचाना और रवि सुरारिया ने अमेरिका के लॉसएंजिलिस में स्पेशल ओलिम्पिक में अपनी कमी को कौशल से पूरा करके दो रजत पदक जीते। उनके पिता राजेन्द्र सुरारिया कहते हैं - "बच्चे चाहे जैसे हों उन्हें वह सब कुछ मिलना चाहिए, जिसके वे हकदार हैं और मैंने व मेरे परिवार ने रवि के लिए सिर्फ यही किया।"

जबलपुर में फौज के नायक शीतलप्रसाद दुबे के बेटे संदीप ने भी इन खेलों में साईक्लिंग का एक रजत पदक जीता। संदीप इसी खेल में राष्ट्रीय प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक भी जीत चुके थे।

भोपाल के एस.ओ.एस. बालग्राम के विजय यद्यपि कोई पदक नहीं जीत पाये, मगर वे इन खेलों में उस भारतीय फुटबाल टीम के हिस्सा थे, जिसने पांचवां स्थान प्राप्त किया था। उज्जैन में कारपेन्टरी का व्यवसाय करने वाले प्रेमकुमार विश्वकर्मा से मानसिक मंदता के शिकार अभिषेक ने इन खेलों में सौ मीटर, दो सौ मीटर तथा चार गुना चार सौ मीटर दौड़ में हिस्सा लिया। मगर वे अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन के बावजूद पदक नहीं जीत पाये।

● राजा दुबे

राष्ट्रीय हिन्दी अकादमी रूपाम्बरा द्वारा

मध्यप्रदेश पंचायिका पुरस्कृत

राष्ट्रीय हिन्दी अकादमी (रूपाम्बरा) का स्वर्ण जयंती समारोह 2 से 4 अक्टूबर तक रायपुर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन एवं अन्तर्राष्ट्रीय भाषा साहित्य संगोष्ठी भी आयोजित की गई। राष्ट्रीय हिन्दी अकादमी (रूपाम्बरा) के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री बलराम जी दास टंडन ने किया। इस अवसर पर मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका मध्यप्रदेश पंचायिका को शील्ड और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश पंचायिका का प्रकाशन विगत 19 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। यह पत्रिका मध्यप्रदेश स्थित समस्त जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों को भेजी जाती है। पत्रिका में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों का संकलन होता है। जानकारी समय-समय पर ग्राम पंचायतों के लिए उपयोगी सिद्ध हुई है।

सहकारी आर्थिक लोकतंत्र में फलता-फूलता

छिदगांव तमोली का ग्राम स्वराज

खेती की व्यस्तता में खाद-बीज, कीटनाशक दवाईयों के लिए परेशान छिदगांव तमोली गांव के किसानों ने तरकीब सोची और ग्रामीण विकास सहकारी साख-समिति मर्यादित का गठन कर समिति को ही सारी जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। गांव के पढ़े-लिखे युवक अशोक गुर्जर को साख समिति की अध्यक्षता की कमान सौंप दी। सहकारी साख अधिनियम के तहत गठित और पंजीयित साख समिति के 153 सदस्यों ने 1 लाख 23 हजार की अंशपूंजी जमा कर ली। समिति ने खेती की खाद के मूल्य बढ़ते जाने से बढ़ती लागत के लिए सभी काश्तकारों की भूमि का स्वाईल (मृदा) परीक्षण करा डाला। साख समिति ने हरदा जिले के दो राष्ट्रीयकृत बैंकों से एफिलीऐशन करा डाला और नाबार्ड ने भी समिति की विश्वसनीयता को आंककर प्रोत्साहन देना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि वर्ष 2014-15 सदस्यीय साख समिति में गांव के चुनिन्दा उत्साही युवकों और उनमें परस्पर विश्वास समीपवर्ती गांवों में छिदगांव तमोली चर्चा का विषय बन गया। जिसकी गूंज जब राजधानी भोपाल पहुंची तो मध्यप्रदेश राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष बाबूलाल जैन ने आयोग से तकनीकी अमला सहकारी आर्थिक लोकतंत्र में ग्राम स्वराज का जायजा लेने भेजा। सांख्यिकी आयुक्त डॉ. राजेन्द्र मिश्र और योजना आयोग के सलाहकार मंगेश त्यागी ने पहुंचकर छिदगांव तमोली में साख समिति के अंचल में पल्लवित, पुष्पित और फलित होते ग्राम स्वराज की गतिविधियों पर संतोष व्यक्त किया और आयोग से हरसंभव प्रोत्साहन, मार्गदर्शन देने का भरोसा दिलाया। आयोग अब समिति के पर्यवेक्षण को अपने बहुमुखी कार्यों में शामिल कर चुका है। आयोग के मुख्य सलाहकार डॉ. राजेन्द्र मिश्रा और आयोग के सलाहकार मंगेश त्यागी ने छिदगांव के सहकारी सेवा सदन में चल रही ग्राम स्वराज की गतिविधियों को प्रोत्साहन देकर समिति की कार्य कक्षा को बहुआयामी बना दिया।

समिति के अध्यक्ष अशोक गुर्जर ने बताया कि गांव के पढ़े-लिखे युवकों का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति जो आकर्षण और विश्वास रहा है वह वहां विकास और सुशासन के रूप में फलित करने का विनम्र प्रयास किया जा रहा है। तीन सौ आबादी के इस गांव के सभी परिवारों के धनजन योजना में खाते खुल चुके हैं। गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुका है, घर-घर में पक्के शौचालय का निर्माण हो चुका है। प्रधानमंत्री की सोच के मुताबिक बच्चों को अफ्रीका के जंगल, भारत का नक्शा, देश की प्राकृतिक संरचना का ज्ञान तो होता है, लेकिन गांव का नक्शा नहीं बना पाते, क्योंकि यहां दिया तले अंधेरा की कहावत चरितार्थ होती है। इस लिहाज से ग्राम के संपर्क में आने वाले सभी शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों से आग्रह किया गया है कि वे अपनी व्यस्तता में से कुछ क्षण शालेय छात्रों को आंचलिक जानकारी और अद्यतन सूचना के रूप में देकर उनके ज्ञान के केनवास को बुनियादी आकार दें। नतीजा यह हुआ कि गांव के पटवारी ने गांव का नक्शा से लेकर जमीन, उसकी बनावट, किस्म, नदी-नालों की सरहद की जानकारी देते हुए राजस्व माल के नियम कानूनों से भी छात्रों को अवगत करा दिया। किशोर छात्रों की रुचिवर्द्धन का एक कारण यह बना कि उन्हें किताबों से ज्यादा रुचि गैर पाठ्यक्रम वाले दैनंदिन जीवन के विषयों की होने लगी। छात्र कूपमंडूप नहीं रह गये। प्रधानमंत्री के मन की बात का गांव में ऐसा आकर्षण पैदा हुआ कि चौपालों पर विशेष अवसरों के लिए श्रवण और दृश्य संसाधन रेडियो और टीवी का सार्वजनिक उपयोग चौपाल पर होने लगा। इससे मौसम की जानकारी के प्रति रुचि जाग गयी।

योजना आयोग के सहयोग से छिदगांव चमोली गांव का मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसमें गांवों को स्मार्ट विलेज में बदलने की तैयारी आरंभ हो गयी है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने पंचायती राज संस्थाओं को आश्वस्त किया है कि 730 करोड़ रुपये की राशि स्मार्ट विलेज संवारने के लिए राज्य के खजाने में जमा है। आबादी और क्षेत्रफल के अनुरूप इसका वितरण किया जायेगा। छिदगांव तमोली के स्मार्ट विलेज बनने में वित्तीय

कठिनाई नहीं आने दी जायेगी। इस तरह गांव के स्मार्ट बनने की प्रक्रिया चर्चा में आ चुकी है।

सहकारी साख समिति ने गांव के सभी नागरिकों को ई-मेल आईडी बनाने की कार्ययोजना पर अमल कर दिया है। इसकी नेमप्लेट के साथ जानकारी घर-घर में आईना की तरह प्रदर्शित की जा रही है। इस ईमेल आईडी पर संबंधित को पहुंचने वाली सूचना, जानकारी का रूपांतर समिति के कार्यालय में उपलब्ध रहेगा। गांव के किशोर समिति के कार्यालय में कम्प्यूटर, ईमेल आईडी का प्रशिक्षण भी ले रहे है। स्मार्ट विलेज के अनुरूप ग्रामवासियों, उनके परिवारों और बच्चों में भी वैज्ञानिक तेवर दिखाई देने लगे हैं। मौसम के बारे में अकुलाहट, उत्सुकता दिखाते ग्रामवासी समिति के कार्यालय में अक्सर पहुंचते रहते हैं। इस तरह डिजीटल इंडिया का सूत्रपात गांव में हो रहा है। अब ईमेल घर-घर खुलें इसका जतन ग्रामवासियों ने स्वयं स्फूर्त आरंभ कर दिया है, जिन घरों में कम्प्यूटर नहीं है वे अपना ईमेल खाता खुलवाने रोज समिति कार्यालय में पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। समिति इसका प्रतीकात्मक शुल्क तय करने पर विचार कर रही है, जिससे सेवा में गुणवत्ता सुधार हो और प्रामाणिकता प्रभावित न हो। गांव के किसान अब प्रामाणिक बीज तैयार करने की दिशा में बढ़ चुके हैं। कृषि विभाग ने प्रामाणिक बीज तैयार करने के लिये गांव में प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दी है, गेहूं की नई-नई किस्म का आधार बीज तैयार करने की शुरुआत कर दी गयी है। साख समिति ने गांव में कर्जग्रस्तता का सर्वेक्षण किया है। कर्जमुक्ति के लिए काश्तकार वार बजट तैयार करने और आय बढ़ाने, कृषि लागत कम करने के उपाय आजमाने की सुखद शुरुआत कर दी गयी है। इसमें अनुत्पादक खर्चों पर कैंची चलाने के लिए कर्जदारों को मानसिक रूप से तैयार किया जाने लगा है।

हर खेत के लिए सड़क, मेड़ पर पेड़ और पेड़ की साख पर कर्ज

गांव में हर खेत तक पहुंचने के लिये पहुंच मार्ग बनाया जा रहा है, इसके लिए किसान प्रति एकड़ के हिसाब से एक हजार रुपये का भुगतान करते हैं। प्रारंभिक चरण में एक लाख रुपये संग्रह हुआ और खेत तक पहुंचने के लिये मुरम और मिट्टी से पहुंच मार्ग बनाने का भागीरथ प्रयास आरंभ हो चुका है। गांव के युवक इस काम में सक्रियता से जुटे हैं, जो किफायत और गुणवत्ता को परखते हैं। आयोग ने इस काम के लिए सरकारी मदद दस गुना के अनुपात से देने का भरोसा दिया है। नतीजा यह हुआ कि अतिक्रमण के मामले भी नजर में आ गये।

पटवारी ने हस्तक्षेप कर गांव को अतिक्रमण मुक्त रखने और इसके लिए हर काश्तकार को जोत का नक्शा दिखाकर आईना सामने रखने का काम किया है। यहां अच्छे सवार ने घोड़े की सही रास थामने का सामर्थ्य भी दिखाया है। पर्यावरण और वृक्षारोपण का चाव पैदा करने के लिए समिति ने प्रत्येक इमारती पेड़ पर एक हजार रुपये तक की साख सीमा तय कर दी है। गांव वासी अपनी भूमि पर इमारती लकड़ी के दरख्त लगाने में जुट गये हैं। इस उत्साह को देखते हुए राजस्व विभाग और वन विभाग भी कुछ रियायतों और शर्तों के साथ ग्रामवासियों से सहमत होने के लिए उदारतापूर्वक सकारात्मक कदम उठाने जा रहा है, जिससे गांवों में वृक्षारोपण एक आदत बनने जा रही है।

मिट्टी परीक्षण ने खेती की लागत कम की

छिदगांव तमोली की साख समिति ने अब तक 52 भूमि स्वाईल परीक्षण के फूलपुर इलाहाबाद परीक्षणशाला के नमूने सार्वजनिक करके 10 तत्वों की तादाद की जानकारी किसानों को दे दी है। इससे समूचे गांव का स्वाईल परीक्षण लगभग नजरों में आ गया है, इसके आधार पर खाद का तार्किक उपयोग होने से भूमि उर्वरा शक्ति के प्रति जागरूकता तथा सतर्कता बढ़ी है। भूमि के मित्र कीट विनाश की कगार पर न पहुंचें इस बात का प्रशिक्षण दिये जाने से पौध संरक्षण औषधियों के उपयोग पर नियंत्रण हुआ है। ग्रामवासियों की सजगता का ही नतीजा है कि शासन के कृषि, उद्यानिकी, उद्योग, कौशल विकास, सहकारिता विभाग के अमले छिदगांव तमोली को अपनी विभागीय गतिविधियों का प्रतिनिधि केन्द्र बनाने के लिए तत्पर हो गये हैं। इसे ही कहते हैं कि 'हिम्मत-ए-मर्दा, तो मदद-ए-खुदा।'

● **भरतचन्द्र नायक**

ग्राम पंचायत सचिवों के चयन और नियुक्ति की अधिसूचना

मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों का जिला कॉडर बनाने का निर्णय लेकर मध्यप्रदेश पंचायत सेवा नियम लागू किये गये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत सचिव का चयन और नियुक्ति जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी और इसकी अधिसूचना विहित प्राधिकारी कलेक्टर द्वारा जारी की जाएगी। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी आदेश को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/एफ-1-1/2015/22/पं-2/15069 **भोपाल, दिनांक 9.10.2015**

प्रति,

1. कलेक्टर, जिला - समस्त, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय :- ग्राम पंचायत सचिव को अधिसूचित (Notify) करने के संबंध में।

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 69 में ग्राम पंचायत सचिव तथा जिला/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। धारा 69 (1) का उद्धरण निम्नवत् हैः-

धारा 69 - सचिव तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति- (1) "राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, किसी ग्राम पंचायत के लिए एक- सचिव तथा एक या अधिक सहायक सचिवों को नियुक्त कर सकेगा जो ऐसे कृत्यों का निर्वहन तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जैसे कि राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी द्वारा उन्हें समनुदेशित किए जाएं।

परन्तु इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व ग्राम पंचायत के सचिव का प्रभार धारण करने वाला व्यक्ति, इस धारा के अनुसार सचिव की नियुक्ति हो जाने तक, उस रूप में कृत्य करता रहेगा।

परन्तु यह और भी कि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत के सचिव या सहायक सचिव का कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा यदि ऐसा व्यक्ति संबंधित ग्राम पंचायत के किसी पदाधिकारी का नातेदार है।

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "नातेदार" का अर्थ है पिता, माता, भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, ससुर, सास, साला (ब्रदर-इन-लॉ) बहनोई, देवर, साली (सिस्टर-इन-ला) भाभी, ननद, देवरानी, जेठानी, दामाद (सन-इन-ला) और पुत्रवधू (डाटर-इन-ला)।"

2. राज्य शासन द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों का जिला कॉडर बनाने का निर्णय लेकर मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2011 बनाये जाकर लागू किये गये हैं। इसी प्रकार ग्राम पंचायत सचिव का चयन, नियुक्ति के अधिकार जिला पंचायत स्तर पर सौंपे गये हैं।

3. ग्राम पंचायत सचिव का चयन उपरांत नियुक्ति जिला पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है। अधिनियम की धारा 69 (1) की अपेक्षा अनुसार सचिवीय अधिसूचना विहित प्राधिकारी कलेक्टर द्वारा जारी की जाती है।

4. स्थानांतरण के फलस्वरूप ग्राम पंचायत सचिवों को जब जिला अंतर्गत अन्य ग्राम पंचायत में पदस्थ किया जाता है, तब कुछ जिलों में धारा 69 (1) के अनुसार पुनः सचिवीय अधिसूचना जारी की जाती है, जो आवश्यक नहीं है।

अतः स्पष्ट किया जाता है कि जिस प्रकार जनपद पंचायत/जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की एक बार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, के रूप में अधिसूचना जारी की जाती है, उसी प्रकार ग्राम पंचायत सचिव की भी कलेक्टर द्वारा धारा 69 (1) के अनुसार अधिसूचना जारी कर दी जाती है, तब स्थानांतरण के फलस्वरूप अन्य ग्राम पंचायत में पदस्थापना की जाने पर पुनः सचिवीय अधिसूचना जारी करना आवश्यक नहीं है। इस परिपत्र के पश्चात् भी यदि किसी जनपद पंचायत द्वारा उनकी जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थानांतरित किसी ग्राम पंचायत सचिव की पुनः सचिवीय अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव जिले को प्रेषित करने की कार्यवाही की जाती है तो संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(रघुवीर श्रीवास्तव)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

बेहतर लिंग अनुपात वाली ग्राम पंचायतें होंगी पुरस्कृत

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदेश की ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें 5 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों में बेटियों की संख्या बेटों से अधिक होगी उन ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस आशय की घोषणा पूर्व में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महिला पंचायत में की गई थी जिसका उद्देश्य प्रदेश में लिंगानुपात को बेहतर बनाना था। इस संबंध में जारी आदेश को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 2-1/2015/22/पं.-1 **भोपाल, दिनांक 14.09.2015**

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला/जनपद पंचायत
   मध्यप्रदेश।

विषय - बेटियों की संख्या बेटों से अधिक होगी, तो उन ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत एवं सम्मानित करने की योजना।

दिनांक 19.05.2015 को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित महिला पंचायत के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा में आंशिक संशोधन किया गया है, जो निम्नानुसार है -

"प्रदेश के ऐसी ग्राम पंचायत जहां पंचायतों की भूमिका सक्रिय हो तथा 0 से 5 वर्ष में बेटियों की संख्या बेटों से अधिक होगी, उन ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत एवं सम्मानित करने की योजना बनाई जावेगी।"

उक्त घोषणा के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत एवं सम्मानित करने के संबंध में निम्नानुसार योजना बनाई गई है, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों में बेटों के समान बेटियों को समान दर्जा देने तथा लगातार हो रहे लिंगानुपात को समान करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है तथा इस योजना का क्षेत्र ग्राम पंचायत तक रहेगा। परन्तु इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश रहेगा, जिसकी पात्रता की शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. पात्रता की शर्तें -

(क) ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी को 0 से 5 वर्ष आयु की बेटियों की संख्या बेटों से अधिक होना चाहिए।

(ख) बेटियों तथा बेटों का आकलन प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक की अवधि का किया जावेगा।

(ग) ग्राम पंचायत क्षेत्रों के समस्त ग्रामों में बेटियों तथा बेटों की तुलनात्मक सूची आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आशा कार्यकर्ता द्वारा तैयार की जावेगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा सूची तैयार कर बी.एम.ओ. को प्रस्तुत की जावेगी।

(घ) तुलनात्मक सूची बी.एम.ओ. के माध्यम से सी.एम.एच.ओ. को प्रेषित की जावेगी। सी.एम.एच.ओ. ब्लाक वार ग्राम पंचायत की सूची जिला स्तरीय बैठक में चयन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

2. चयन समिति - चयन समिति में 04 सदस्य होंगे -

(1) कलेक्टर - अध्यक्ष

(2) सी.एम.एच.ओ. - सचिव

(3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत - सदस्य

(4) जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला बाल विकास अधिकारी

समिति की बैठक सचिव द्वारा आहूत की जावेगी। समिति समस्त प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर अंतिम रूप से ग्राम पंचायतों का चयन करेगी तथा प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायत दिवस पर जिले में गणमान्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पुरस्कार का वितरण किया जावेगा।

3. राशि का आवंटन - राशि का आवंटन पंचायत राज संचालनालय से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को किया जावेगा तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से ग्राम पंचायत को राशि जारी की जावेगी।

4. पुरस्कार राशि - ऐसी ग्राम पंचायतें जहां वर्ष में 0 से 5 वर्ष तक की बेटियों की संख्या बेटों से अधिक होगी, उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप रु. 1.00 लाख (रु. एक लाख मात्र) प्रदान किया जावेगा।

5. राशि का उपयोग - पुरस्कार राशि के उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा बेटियों के विकास पर व्यय की जावेगी।

6. अभिलेख - यह राशि संबंधित ग्राम पंचायत के बैंक खाते में जमा की जावेगी एवं ग्राम पंचायत के प्रस्ताव एवं ठहराव अनुसार व्यय किया जावेगा।

7. राशि का अंकेक्षण - पुरस्कार राशि से किये गये कार्यों एवं व्यय राशि का ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किया जावेगा।

8. राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र - राशि का उपयोग किये जाने के उपरांत उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र जनपद/जिला पंचायत संकलित कर आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय को वित्तीय वर्ष समाप्ति उपरांत तत्काल प्रेषित करेगी।

कृपया योजनानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(ब्रजेश कुमार)
अपर सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृष्ठां.क्रमांक एफ 2-1/2015/22/पं.-1 **भोपाल, दिनांक 14.09.2015**

प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय भोपाल।
2. निज सहायक, माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
4. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
5. निज सचिव, सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
6. समस्त अध्यक्ष, जिला/जनपद पंचायत मध्यप्रदेश।
   की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

दो अक्टूबर से ग्राम सभाओं का चरणबद्ध आयोजन

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत को साल में प्रत्येक तीन माह के अंतराल में ग्राम सभाओं का चरणबद्ध आयोजन कराना अनिवार्य है। इसी के तहत गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2015 से समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का चरणबद्ध आयोजन किया जाना है। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया जा रहा है।

समय-सीमा

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 16-1/2011/22/पं.-2 **भोपाल, दिनांक 28.09.2015**

प्रति,

1. समस्त,
   जिला कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत-समस्त
   मध्यप्रदेश।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जनपद पंचायत-समस्त
   मध्यप्रदेश।

विषय - दिनांक 02 अक्टूबर 2015 से ग्राम सभाओं का आयोजन।

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 6 के प्रावधान अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत को ग्राम सभा का त्रैमासिक सम्मिलन आयोजित करना अनिवार्य है, आगामी 02 अक्टूबर, 2015 से ग्राम सभाओं का चरणबद्ध तिथियों में आयोजन किया जाना है।

1. इस वर्ष दिनांक 25 सितम्बर 2015 से 11 अक्टूबर 2015 के बीच सघन राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों एवं ग्राम सभाओं की अहम भूमिका है। ग्राम पंचायतें एवं ग्राम सभाएं स्वच्छता संबंधी दिन प्रतिदिन के कार्यक्रम बनाकर लोगों के बीच स्वच्छता एवं पर्यावरण पर चर्चा करें।
2. दिनांक 02 अक्टूबर 2015 को विशेष ग्राम सभा की बैठकों में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के तहत सरपंच की अध्यक्षता में ग्राम सभा होना अनिवार्य है। ग्राम सभा में सफाई एवं स्वच्छता कार्यक्रम अंतर्गत गतवर्ष की उपलब्धियों पर चर्चा करें, साथ

ही साफ-सफाई के चालू कार्यों को समय पर पूरा करने के संबंध में एवं आगामी वर्ष हेतु पंचायत के समस्त गांवों में स्वच्छता अभियान अंतर्गत कार्य योजना तैयार की जाना है। इस हेतु पंचायत अंतर्गत समस्त गांवों के घर-घर जाकर पंच एवं सरपंच निरीक्षण करें एवं शौचालय रहित घरों को चिन्हांकन कर सूचीबद्ध करें। इन प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले सरपंच पर अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत कार्यवाही होगी।

3. कार्ययोजना अंतर्गत व्यक्तिगत साफ सफाई, घरों की साफ सफाई एवं जलस्त्रोतों तथा राजमार्गों एवं पंचायत अंतर्गत लगने वाले हाट बाजारों, नालियों आदि की साफ सफाई की स्वच्छता कार्ययोजना शामिल की जानी है। इस हेतु तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कार्ययोजना तैयार की जावे। इस कार्य हेतु स्वच्छ भारत मिशन से पृथक से राशि उपलब्ध होगी।

4. इसके अतिरिक्त सघन राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान अवधि के दौरान समग्र स्वच्छता की उपलब्धियों पर समारोह आयोजित किये जाने हैं। समारोह के दौरान ऐसे संगठनों/व्यक्तियों जिनके द्वारा स्वच्छता अंतर्गत अच्छा कार्य किया गया है, उन्हें सम्मानित किया जावे। खुले से शौच मुक्त ग्राम पंचायतों के सभी गांव में सरपंच की अनिवार्य अध्यक्षता में गौरव यात्रा निकाली जावे, जो पंचायतें अभी तक खुले से शौच मुक्त नहीं हुई हैं उन पंचायतों के प्रत्येक गाँव में सरपंच एवं पंच के नेतृत्व में शर्मसार यात्रा निकाली जाए।

5. जिन पंचायतों में सी.सी. रोड का कार्य शेष है उनका प्रस्ताव ग्राम सभा से पारित कराकर शीघ्र भेजें।

6. पंचायत अंतर्गत विगत 10 वर्षों में जो-जो कार्य कराये गये हैं उनका संकलन तैयार कर परिसम्पत्ति रजिस्टर तैयार कर उसमें इंद्राज किया जाये। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश अपर मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से पूर्व में जारी किये जा चुके हैं।

7. कार्य योजना एवं सम्पूर्ण कार्यक्रम पर समेकित रिपोर्ट शासन को 20 अक्टूबर 2015 तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

इसके अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर भी विशेष ग्राम सभाओं में एजेंडेवार चर्चा की जाए -

स्थायी एजेंडे के बिन्दु -

(1) पंचायतों में करारोपण के माध्यम से आय के स्त्रोतों में वृद्धि के संबंध में चर्चा करना।

(2) खुले में शौच से मुक्त करने हेतु संकल्प सरपंच एवं पंचों की उपस्थिति में दिलाया जाए।

(3) जिले की समस्त ग्राम सभाओं में पंचायत क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों की सूची का वाचन व अनुमोदन।

(4) 6 से 14 आयु वर्ग के शाला अप्रवेशी एवं शाला त्यागी बच्चों को चिन्हित कर शाला में दर्ज कराकार उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराना।

(5) अतिकम वजन वाले बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु चिन्हित ग्रामों में आयोजित होने वाले स्नेह शिविरों में समुदाय की सक्रिय सहभागिता की सुनिश्चितता। ग्राम सभा में ग्राम के अतिकम वजन के बच्चों की जानकारी प्रस्तुत की जाकर, उनके पोषण स्तर में सुधार हेतु समुदाय के माध्यम से सतत निगरानी रखी जाना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्राम सभा में उक्त कार्यवाही सुनिश्चित करायेगी।

(6) गर्भवती महिला को घर में उचित आहार प्रदाय की सुनिश्चितता हेतु परिवार को जागृत करना। अतिकम वजन वाले बच्चों के परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध शासकीय योजनाओं का लाभ दिलवाया जाना।

(7) नियत समय पर गर्भवती महिलाओं का आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीयन एवं उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं, आई.एफ.ए. टेबलेट का प्रदाय तथा पूरक पोषण आहार की उपलब्धता की सुनिश्चितता।

(8) संस्थागत प्रसव कराने हेतु गर्भवती महिला एवं उसके परिवार को प्रेरित करना। गर्भवती/बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण।

(9) पोषण स्तर के आधार पर अतिकम वजन वाले बच्चों को मापदंड अनुसार पोषण पुनर्वास केन्द्र में पोषण प्रबंधन हेतु भेजे जाने की आवश्यकता पर समुदाय द्वारा ऐसे बच्चों के अभिभावकों को समझाईश दिया जाना। अन्य गैर चिकित्सा आवश्यकता वाले अतिकम वजन वाले बच्चों को खान-पान इत्यादि सुधार हेतु समुदाय द्वारा प्रबंधन किया जाना।

(10) पंचायत अंतर्गत घर-घर में पेय जल व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु योजना तैयार कर ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित करायें एवं बंद पड़ी नलजल योजनाओं को पुनः चालू करने का प्रयास करना।

(11) ग्राम सभा की बैठकों की वीडियोग्राफी कराना।

(12) ग्राम पंचायत की बैठकों में केवल चुने हुये गतिविधियों को ही भाग लेने देना तथा पंच पति/सरपंच पति की प्रथा समाप्त करना।

(13) ग्राम पंचायतों को प्रदाय की गई सामग्री जैसे कम्प्यूटर, प्रिंटर, टेलीविजन आदि के उपयोग की समीक्षा करें।

अस्थायी एजेंडे के बिन्दु -

(1) महिला उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों पर ग्राम सभा में चर्चा कर जागरूकता बढ़ाना।

(2) नव चयनित स्वच्छता दूत तथा नव चयनित प्रेरकों की सूची का ग्राम सभा में वाचन।

(3) वर्ष 2014-15 में खुले में शौच से मुक्त हो चुकी पंचायत में समारोह आयोजन पर चर्चा व तिथि का निर्धारण।

(4) पंच-परमेश्वर योजनांतर्गत उपलब्ध राशि से शालाओं में साबुन से हाथ धोने हेतु इकाई (Handwashing Platform) निर्माण का ग्राम सभा में अनुमोदन कराना।

(5) एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम IWMP परियोजना अंतर्गत संबंधित ग्रामों में वित्तीय वर्ष 2015-16 की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा।

(6) शाला प्रबंध समिति द्वारा शाला का निरीक्षण किया जाता है, कि नहीं तथा निरीक्षण के दौरान छात्र उपस्थिति रजिस्टर और शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर का अवलोकन कर, निरीक्षण टीप दी जाती है, कि नहीं।

(7) प्रधानमंत्री जनधन योजनांतर्गत खोले गये बैंकिंग करेसपोन्डेन्ट (बी.सी.) पंचायत भवनों में कार्य करें या पंचायतों के समीप खोले जाएं। योजना अंतर्गत अधिक से अधिक खाताधारकों को प्रधानमंत्री बीमा योजना में शामिल किये जाने पर कार्ययोजना।

(8) सभी हितग्राहियों के खातों को समग्र नंबर से लिंक करें, जहां आधार कार्ड उपलब्ध हो उसे भी बैंक खाते से लिंक करें।

(9) पंचायतों द्वारा कराये जा रहे कार्य गुणवत्ता युक्त हों, की निगरानी पर चर्चा। ग्राम पंचायत अंतर्गत निर्माण कार्यों की सतत् मॉनिटरिंग (अनुश्रवण) किया जाए।

(10) ग्रामीण क्षेत्र में अन्त्योदय कार्डधारी निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों एवं माताओं के द्वारा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जावेगा।

(11) पंचायतों अंतर्गत एक खाता व्यवस्था को सुनिश्चित करना। पंचायतों द्वारा चैकों के स्थान पर फण्ड ट्रांसफर आर्डर/एन.आर.एफ.टी. द्वारा राशि का आहरण।

(12) मनरेगा एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लंबित भुगतान सुनिश्चित करना।

(13) 15 जुलाई से प्रारंभ आंगनवाड़ी एवं प्राथमिक शालाओं में दूध प्रदाय व्यवस्था की समीक्षा।

(14) कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक पंचायत हेतु एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाय। यह नोडल अधिकारी संबंधित पंचायत का निरीक्षण कर कलेक्टर को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(15) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं संबंधित जनपद अध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्रों में 02 अक्टूबर 2015 को सघन भ्रमण कर निरीक्षण करेंगे एवं गौरव यात्राओं में भाग लेंगे। समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष एवं समस्त कलेक्टर यथासंभव अपने-अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत 02 अक्टूबर को गौरव यात्राओं में भाग लेंगे।

(रघुवीर श्रीवास्तव)
सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग